Par. S. 17. I. 36. 52
235

अंक १

संख्या ३६

सोमवार,

७ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha (First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २२१९—२२५९]

प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २२५९—२२६८]

(मूल्य ४ आने)

421 PSD.

लोक सभा

दस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन्नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—(पश्चिम) व ज़िला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकन्द लाल [ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली (पूर्व)]

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा—पश्चिम)

अचिन्त राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री क० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही—पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुरसत्तार, श्री (कलनां—कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मन्डी—महासू)

अय्यंगर, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिगंलपुट)

अलवा, श्री जोशिम (कनारा)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आगम दास जी, श्री (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इय्यून्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्डलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया—उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला—जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर)

ए

एबनजिर, डा० एस० ए० (विक़ाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित—आंग्ल—भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० (मदुराई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर — उत्तर — रक्षित — अनुसूचित जातियां)
कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल — रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गोड)
कमल सिंह, श्री (शाहबाद—उत्तर-पश्चिम)
करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर—चूरू)
कास्लीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा—झालावाड़)
कांबले, श्री देवरोआ नामदेव रोआ (नान्देड़—रक्षित अनुसूचित —)
काचि रोयर, श्री डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)
काज़मी, श्री सैयद मौहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर—व ज़िला फ़ैज़ाबाद दक्षिण फश्चिम)
काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामराज, श्री के० (श्री विल्लिपुतूर)
काले, श्रीमती अनुसुय्या बाई (नागपुर)
किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच—पूर्व)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)
केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)
केसकर, डा० वी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)
कौशिक, श्री पन्ना लाल आर० (टोंक)

ख

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर सतारा)
खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना—अकोला)
खोंगमन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल व बड़ौदा पूर्व)
गांधी, श्री फ़िरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व)
गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)
गाडगिल, श्री नरहरि विष्णु (पूना—मध्य)
गाम, श्री मल्लूडोरा, (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
गिरधारी भोय, श्री (कालाहांडी—बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गिरि, श्री वी० वी० (पयपटनम्)
गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
गुलाम क़ादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
गोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)
गोपीराम, श्री (मंडी—महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर—दक्षिण)
गोहैन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित—आसाम—जन जाति क्षेत्र)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
गौंडर, श्री के० शक्तिवाडिवेल (पैरियाकुलम)
गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (इरोड)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमति रेणु—(बंशीरहाट)
चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरेन्द्र नाथ (विजयवाड़ा)
चंडुक, श्री बी० एल० (बेतूल)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चाको, श्री पी० टी० (मीनाचिल)
चाडक, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चावड़ा, श्री अकबर (बनासकोठा)
चुरियां, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)
चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० ए आर नागप्पा (रामनाथपुरम)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खीरी—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहबाद दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हज़ारीबाग़)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई—उपनगर)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेडक)
जसानी, श्री चतुर्भुज वी (भंडारा)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जाटव वीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर—सवाई माधोपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेन्कनाल—पश्चिम कटक—रक्षित अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर—क्योंझर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

चैंदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर—उत्तर)

जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)

जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि दक्षिण)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर—राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झा आज़ाद, श्री भगवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)

टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)

टामस, श्री ए० वी० (श्री बैकुण्ठम)

टेकचन्द, श्री (अम्बाला—शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)

डामर, श्री अमर सिंह साब जी (झबुआ—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

डोरास्वामी, पिल्ले रामचन्द्र, श्री (वेलौर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार—रक्षित अनुसूचित जातियां)

तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, श्री वेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—दक्षिण)

तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर—झाड़ग्राम—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)

तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना पश्चिम)

तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ़्फ़रनगर—दक्षिण)

त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरिंग)

त्रिपाठी, श्री विश्वंभर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)

दाभी, श्री फूलसिंहजी बी० (कैरा उत्तर)

दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)

दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांम उत्तर)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (बर्दबान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बी० (जाजपुर,—क्योंझर)
दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)
दास, श्री वेली राम (बारपेटा)
दास, श्री राम धनी (गया पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)
दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)
दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा —पूर्व)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुख़ाबाद उत्तर)
दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती—उत्तर)
देव, हिज़ हाइनेस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)
देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)
देशमुख, श्री चिंतामणि द्वारकानाथ (कोलाबा)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी—दक्षिण)
धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)
नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना, रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहम्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)
नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नामधारी, श्री आत्मासिंह (फ़ाज़िल्का—सिरसा)
नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंड्री)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वी० पी० (चिरायांकिल)
नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)
नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर—उत्तर व खीरी — पूर्व)
नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)
नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहा-बाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)
पटेल श्री राजेश्वर (मुज़फ़्फ़रपुर व दर-भंगा)
पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर पूर्व)
पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद उत्तर पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)
परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटराव पीशजीराव, (दिक्षण सतारा)
पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल—व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली उत्तर)
पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)
पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाडे (अहमदा-बाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड बीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)
पारिख, श्री रसिक लाल यू० (ज़ालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेह-सना पूर्व)
पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)
पुन्नूस, श्री पी० टी० (ऐल्लेप्पी)
पोकर साहब, जनाब बी० (मलुप्पुरम्)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
प्रसाद, श्री हरिशंकर (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर रिवाड़ी)
बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं—पश्चिम)
बनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर—झाड़-ग्राम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फ़िरोज़पुर—लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझुनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री एस० सी (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालसुब्राह्मण्यम, श्री एस० (मदुराई)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
बुरुआ, श्री देव कान्त (नौगांव)
बुवराघसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदगनर दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित—आंग्लभारतीय)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तरपूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्षमण श्रवण (बुलडाना अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी ए० खीमजी, श्री (कच्छ—पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़—जालौर)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)
भार्गव, पण्डित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवत माल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा—डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बांकुडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह, (तरन तारन)
मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरपल्ली)
मल्लय्या, श्री श्रीनिवास यू० (दक्षिणी कनाडा—उत्तर)
मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)
मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री अनूप लाल (भागलपुर व पूर्निया)
मतहा, श्री बलवन्त राय गोपालजी (गोहिलवाड़)
महता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)
महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
मातन, श्री सी० वी० (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर—दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)

मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर—राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया—दक्षिण)

मिश्र, श्री पण्डित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विजनेश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूरुणन, श्री एम० (वैल्लूर—रक्षित—अनसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिरुकुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया—पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर—झुंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफ़ी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोज़िकोडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैथ्यू, प्रो० सी० पी० (कोट्टयम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कोठा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रजमी, श्री सैयद उल्लाखां (सिहोर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडोल—सिद्धि—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़ज़ुर (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रघवय्या, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित— अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारी बाग़)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री पतिराम (बसीरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री बिश्व नाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)
राव, श्री कोंडू सुब्बा (एलरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)
राव, दीवान राघवेन्द्र (उस्मीनाबाद)
राव, श्री पेंडयाल राघव (वरंगल)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाडा—दक्षिण)
राव, श्री केनेटी मोहन (राजामुन्द्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
राव, श्री टी० बी० विट्टल० (खम्मम)
राव, श्री राघासमं शेषगिरि (नन्दयाल)
रिचर्डसन, बिशप जांन (नाम निर्देशित—अण्डमान निकोबार—द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)
लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
लालसिंह, सरदार (फ़िरोज़पुर—लुधियाना)
लास्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार—लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)
वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया—पूर्व)
वल्लातरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परमणी)
विजय लक्ष्मी, पंडित श्रीमती (ज़िला लखनऊ—मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़ पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वेंकटारमन, श्री आर० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पांडयन, श्री एम० (शंकरनायिनार कोविल)
शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, श्री राधाचरण (मुरैना—भिंड)
शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)
शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (ज़िला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा—पूर्व)
शास्त्री पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)
शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)
शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)
शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)
शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमति (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला बिजनौर—उत्तर)
शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ—उत्तर पूर्व)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सौरठ)
शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शिवा, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)
शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़—फुलवनी—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
सखारे, श्री टी० सी० (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)
सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट—जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ़्फ़रपुर मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ़्फ़रपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला ग़ाज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसन्द (ज़िला ग़ाज़ीपुर पश्चिम)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)
सिंह, श्री लैसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)
सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरपुर—सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर पूर्व)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस) पूर्व)
सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा—रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंह, जुदेव, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगुजा—रायगढ़)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा श्री एच० (हासन—चिकमगालूर)
सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)
सिन्हा, अवधेश्वर प्रताप (मुजफ़्फ़रपुर पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारीबाग़ पूर्व)
सिंहा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)
सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व
सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची)
सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)
सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)
सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया पश्चिम)
सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर-पश्चिम)
सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)
सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रहमण्यम्, श्री काडाला (विज़ियानगरम्)
सुब्रहमण्यम, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल श्री ए० आर० (चम्बा—सिरमौर)
सैय्यद, अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)
सोरेन, श्री पाल जुझार (पूर्णिया व सन्थाल परगना—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)
वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्म (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना हज़ारीबाग़—रक्षित—अनुसूचित जल जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्त शयनम् आय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री हरि विनायक पाटसकर
श्री एन० सी० चटर्जी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कॉल, बैरिस्टर-एट-लॉ

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन
श्री एस० एल० शकधर
श्री एन० सी० नन्दी
श्री डी० एन० मजूमदार
श्री सी० वी० नारायण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री असीम कृष्ण दत्त
श्री गोविन्दराव धर्मजी वर्तक
प्रो० सी० पी० मैथ्यू

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री	श्री जवाहरलाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
संचरण मंत्री	श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री	राजकुमारी अमृत कौर
रक्षा मंत्री	श्री एन० गोपालस्वामी अय्यंगार
वित्त मंत्री	श्री सी० डी० देशमुख
योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री	श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
गृहकार्य तथा राज्य मंत्री	श्री के० एन० काटजू
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री रफ़ी अहमद किदवई
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री	श्री टी० टी० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री	श्री सी० सी० बिस्वास
रेल तथा यातायात मंत्री	श्री लाल बहादुर शास्त्री
निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद मंत्री	सरदार स्वर्ण सिंह
श्रम मंत्री	श्री वी० वी० गिरि
उत्पादन मंत्री	श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रिगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री	श्री सत्य नारायण सिन्हा
पुनर्वास मंत्री	श्री अजित प्रसाद जैन
वित्त राज्य-मंत्री	श्री महावीर त्यागी
सूचना तथा प्रसारण मंत्री	डा० बी० वी० केसकर

उपमंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री	श्री डी० पी० करमरकर
निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री	श्री एस० एन० बुरागोहिन

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

सोमवार ७ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चूने का पत्थर

*१४९६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कालका-कसौली (पेप्सू) क्षेत्र में सिमेंट निर्माण के लिये उपयुक्त चूने का पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इस पत्थर का कोई उपयोग किया गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ग) पेप्सू राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और वह प्राप्त होने पर सदन पटल पर रखदी जायेगी ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार यह जानती है कि वहां पहले ही से एक फैक्टरी चालू है, और यदि जानती हो, तो मैं जान सकता हूं कि क्या वह फैक्टरी पूरे ज़ोर से चल रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए, जब कि वहां पत्थर मिलने की इतनी सम्भावना है तब क्या सरकार एक नया सीमेंट कारखाना खोलने का विचार कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह राज्य सरकार का काम है, और हमने जानकारी मांगी है। यदि वह और कुछ कारखाने खोलना चाहती है तो वह हमें वैसा बतलायेगी और हम वह जानकारी सदन पटल पर रख देंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने उस क्षेत्र में और भी खनिज़ सम्पत्ति मिलने की सम्भावना की खोज़ की है ।

श्री के० डी० मालवीय : हमने कौन कौन सी खोज की है यह हम पहले ही बतला चुके हैं ।

सामूहिक दल विग्रह परियोजना

*१४९७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यूनिस्को की दल विग्रह परियोजना के अंतर्गत किये हुए सामूहिक जीवन के

परिमाप का प्रतिवेदन मानवशास्त्र विभाग द्वारा पूरा कर दिया गया है ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : मानव शास्त्र विभाग से प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । अंतिम प्रतिवेदन अभी तैयार हो रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस देश में ऐसी खोज करने के लिये एक अलग समिति स्थापित की है ।

श्री के० डी० मालवीय : जी हां । सन् १९५२ में भारतीय राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत दल-विग्रह के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये एक समन्वय समिति नियुक्त की गइ थी । इस समिति ने विविध विग्रहों के अध्ययन करने की पुरा ी योजना बदल दी है और इस अध्ययन के लिये दस नई परियोजनाओं की सिफारिश की है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हमारे लिये इन प्रस्तावों की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जा सकती है ?

श्री के० डी० मालवीय : अंतिम प्रतिवेदन तैयार होते ही पूरी चीज़ हम सदन के सामने रख देंगे ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस अंतिम प्रतिवेदन का मंत्री महोदय ने निर्देश किया वह पुरानी समिति द्वारा तैयार किया जायेगा या नियुक्त होने वाली नयी समिति द्वारा ?

श्री के० डी० मालवीय : कोई नयी समिति नियुक्त करने का हमारा इरादा नहीं है ।

श्री वैलायुधन : परन्तु अन्तिम प्रतिवेदन कौनसी समिति तैयार करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : मंत्रालय द्वारा अंतिम प्रतिवेदन तैयार होगा ?

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या समिति द्वारा देश के कुछ खास विभागों को या समाज के कुछ खास वर्गों को अध्ययन या गवेषणा का विषय बनाया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां । सन् १९५२ में नियुक्त किये गये भारतीय-राष्ट्रीय आयोग ने मानव शास्त्र विभाग के संचालक डा० ी० सी० गुहा को आदिम जातियों और मैदानी लोगों के बीच के विग्रह का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किया था । कुछ समय पीछे डा० गुहा ने पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के परस्पर विग्रह का अध्ययन किया है ।

सरदार हुक्म सिंह : उनके अध्ययन के खास पहलु कौन से थे और वे कौन से नतीजों पर पहुंचे ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का सवाल है, अध्ययन के दो खंड रहे । सहायता और पुनर्वास के लिये सरकार पर निर्भर रहने वाले लोग तथा अपनी प्रेरणा और प्रयत्नों के सहारे बसने की कोशिश करने वाले लोग । इन दो समूहों के बारें में प्रारम्भिक प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि पुनर्वास विषयक सरकारी नीति और उपायों के बारे में शरणार्थियों का दृष्टिकोण क्या है ?

परिनियत, तदर्थ और विभागीय समितियां

*१४९८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१ और १९५२ में मंत्रालय में नियुक्त की गई परिनियत, तदर्थ और विभागीय समितियों की अथवा पर्षदों की संख्या, नाम और उनके कृत्य व कार्य काल; तथा

(ख) जो सिमितियां अथवा पर्षद सन् १९५१ के पहिले कृत्यकारी रहीं और जिन्होंने सन् १९५१ और १९५२ में अपने प्रतिवेदन पेश किये उनकी संख्या और नाम क्या थे।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख), अपेक्षित जानकारी देने वाले चार विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३६**]

श्री एस० एन० दास : दूसरे विवरण से यह पता चलता है कि जस्ते के उद्योग के प्रश्न की जांच करने के लिये और उसकी स्थापना के बारे में ठोस प्रस्ताव सुझाने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। मैं जान सकता हूं कि क्या कोई अन्तकालीन प्रतिवेदन सरकार को पेश किया गया था ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रश्न के उत्तर के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये। परन्तु प्रतिवेदन में कोई निश्चित कार्यक्रम न होने के कार मैं कह सकता हूं, कि इस विषय में आज हमारे पास कोई जानकारी नहीं।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि भारत का पक्षी परिरक्षण राष्ट्रीय समिति ने अपने कार्य तथा क्रियाओं का प्रतिवेदन सरकार को पेश किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इसकी भी सचना चाहिये।

श्री बैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या परिनियत तथा विभागीय समितियों में स्थायी परामर्शदात्री समिति का भी समावेश होता है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं।

श्री रघवय्या : मैं जान सकता हूं कि श्री० सी० वी० रमण और डा० मेघनाद साहा जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिकों को इस समिति में निमंत्रित किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय: इस विभाग में विविध समितियां नियुक्त होती हैं और जहां आवश्यक हो वहां विख्यात वैज्ञानिकों को निमंत्रित किया जाता है।

श्री एस० एन० दास : दूसरे विवरण के क्रमांक २ व ३ के सामने यह बताया गया है कि उन समितियों ने अपने प्रतिवेदन पेश कर दिये हैं। मैं जान सकता हूं कि क्या इन समितियों की सिपारिशें मान ली गई हैं और उनके अनुसार कार्यवाही शुरू कर दी गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : तीसरे क्रमांक की सिपारिश पर सरकार ने विचार किया है परन्तु अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

श्री रघवय्या : मैं जान सकता हूं कि इन पर्षदों, उप-समितियों, आदि के प्रशासन की देखभाल करने के लिये क्या इनमें विश्वविख्यात वैज्ञानिकों को सम्मिलित करने का सरकार का इरादा है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह तो एक कार्यवाही करने का सुझाव है। परन्तु यदि माननीय सदस्य की यह प्रबल इच्छा हो कि सरकार इस सूचना पर गौर करे तो वे मुझे सूचित करें । मैं उस पर विचार करूंगा ।

युवक-कल्याण

*१४९९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय युवकों की कल्याण वृद्धि के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है; तथा

(ख) भारतीय युवक-कल्याण कार्य को सहायता देने में संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने कितना हाथ बटाया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय): (क) अभी इस समय भारत सरकार देश के विद्यमान युवक संघटनों का प्रारंभिक परिमाप कर रही है और इस एकत्रित जानकारी के आधार पर इस मामले में अगला कदम उठाया जाएगा।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत सरकार के सहयोग से नवम्बर १९५१ में शिमला में दक्षिण पूर्वीय एशिया के राष्ट्रों का युवक-कल्याण अध्ययन-मण्डल बुलाया था । उस में युवक-कल्याण से सम्बन्धित विविध प्रश्नों पर विचार हुआ। अध्ययन-मण्डल ने अनेक सिफारिशें की हैं जिन पर भारत सरकार गौर कर रही है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्रीजी से यह जान सकता हूं कि भारतवर्ष में कितनी युवक संस्थायें हैं और उनमें से किन किन को गवर्नमेंट की मदद मिलती है ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा मैंने अभी कहा, इस विषय में अन्वेषण हो रहा है, सर्वे (परिमाप) हो रहा है। जैसे ही सर्वे हो जायेगा गवर्नमेंट (सरकार) सारी सूचना माननीय सदस्य के सामने रख देगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि सेंट्रल बोर्ड आफ एज्युकेशन (केन्द्रीय शिक्षा पर्षद) द्वारा युनायटेड नेशन्स के सेमिनार की तमाम रिकमेन्डेशन्स (संयुक्त राष्ट्र संघ अध्ययन मण्डल के सिफारिशों) पर विचार करने के लिये एक कमिटी (समिति) बिठाई गई है ।

श्री के० डी० मालवीय : एक कमिटी बिठाई तो गई है और वह शिमला सेमिनार की तमाम रिकमेन्डेशन्स पर विचार कर रही है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कौसानी में महिलाओं का और कंदराला में युवकों का जो कैम्प (शिबिर) बिठाया गया है वह सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसा लगा और क्या गवर्नमेंट उस को कोई मदद देना चाहती है या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : गवर्नमेंट को खुशी है कि ऐसे सेमिनार लगाये गये, पर उनको मदद देने के प्रश्न पर गवर्नमेंट का अभी कोई निश्चय नहीं है ।

श्री वैलायुधन : इन युवक परिमापों के पीछे क्या कोई खास उद्देश्य है ? इन का उपयोग कैसा होगा ?

श्री के० डी० मालवीय: उद्देश्य तो स्पष्ट है—युवकों के कल्याण की वृद्धि करना ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या कंदराला के युवक शिबिर का इस विशिष्ट परिमाप से कोई सम्बन्ध है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि दक्षिणपूर्वी एशिया के युवक अध्ययन-मण्डल में, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि सम्मिलित थे, और किन किन राष्ट्रों ने भाग लिया ?

श्री के० डी० मालवीय : उस में ब्रह्मा, लंका, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, आदि राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल थे ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कितनी आयु तक के व्यक्ति को सरकार युवक समझती है ? क्या ऐसी कोई सीमा निर्धारित है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, कोई आयुवर्ग या आयुसीमा नहीं है ।

श्री वैलायुधन : क्या उनमें वृद्धों को भी सम्मिलित किया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : यदि वृद्ध यौवनसम्पन्न हों ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यंग मेन्स क्रिश्चियन असोसियेशन और यंग वीमन्स क्रिश्चियन असोसियेशन की तरह कोई संस्था भारत वर्ष में बनाई गई है, और क्या उस संस्था को गवर्नमेन्ट ने कोई मदद दी है या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं

उपाध्यक्ष महोदय : यद्यपि माननीय सदस्य सेठ गोविन्द दास, जिन के नाम पर प्रश्नसंख्या १५०० दर्ज है, यहां उपस्थित नहीं हैं, तो भी मुझे बताया गया है कि माननीय मंत्रीजी सदन के लाभ के लिये उसका उत्तर पढ़ना चाहते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या प्रश्नकर्ता की अनुपस्थिति में उत्तर पढ़ा जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्रीजी को वैसा करने के लिये कह सकता हूं ।

श्री ए० सी० गुहा : उस अवस्था में क्या अनुपूरक प्रश्नों को अनुमति मिलेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जायेगी ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : प्रश्न का उत्तर देने के पहिले मैं यह बताना चाहूंगा कि मैंने उपाध्यक्ष महोदय से यह विशेष प्रार्थना की थी वरना यह प्रश्न अतारांकित ही माना जाता ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि स्पष्टीकरण के उद्देश्य से सरकार स्वयं अनुपस्थित प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर पढ़ना चाहती है, तो वह प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद वैसा कर सकती है । पीछे एक बार मैं ने यह बात स्पष्ट की थी । उसी नियम का हम आज अनुसरण करेंगे और प्रश्नकाल के पश्चात मैं माननीय मंत्री को पुकारूंगा ।

आयकर अनुसन्धान आयोग

*१५०१ **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आयकर अनुसन्धान आयोग द्वारा अभी तक निबटाये गये मामलों की संख्या; तथा

(ख) दस बड़े मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशियां कितनी हैं ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री त्यागी) : (क) ३० जून, १९५२ तक आयोग द्वारा निबटाये गये मामलों की संख्या ७७९ है ।

(ख) छिपाई गई आमदनी के दस वर्गों के मामलों सर्वोच्च राशियां मोटे तौर पर इस प्रकार हैं : ४५८; ३२३; ३०९; १६६; १५१; १३४; १२०; ९३; ९० और ८२ लाख रुपये ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं कुल राशि जान सकता हूं ?

श्री त्यागी : वह जोड़ी जा सकती है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं आयोग के सामने पेश किये गये मामलों की कुल संख्या जान सकता हूं ।

श्री त्यागी : १५५५ ।

श्री ए० सी० गुहा : इन रहस्य भेदों के फलस्वरूप राज्य कोष को कितना कर प्राप्त हुआ ?

श्री त्यागी : इन १५५५ मामलों में से अभी तक ७७९ मामले निबटाये गये हैं। इन मामलों में छिपाई गई आमदनी की कुल राशि ३७·१२ लाख रुपये होती है और उस पर आय कर १९·६१ लाख रुपये होगा ।

श्री रघवय्या : मैं जान सकता हूं कि इन मामलों में क्या दंड दिया गया? मुझे ब्यौरेवार जानकारी चाहिए ।

श्री त्यागी : इस अनुसन्धान के सम्बंध में जो विधि बनाई गई उसके अनुसार जिन्होंने स्वयं अपनी आमदनी का रहस्य भेद नहीं किया उन करदाताओं को अर्थ-दण्ड देने के अधिकार के अतिरिक्त और कोई अधिकार आयोग को नहीं मिला है। कर और अर्थदण्ड लगाना ही एकमेव सज़ा विध्यनुसार दी जा सकती थी और ये १९·६१ लाख रुपये दण्ड के रूप में ही समझे जा सकते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस अनुसन्धान पर आज तक कुल कितनी राशि व्यय हो चुकी है ।

श्री अच्युतन : छिपाई गई आमदनी के सब से अधिक मामले होने का श्रेय किस राज्य को मिला है ?

श्री त्यागी : ये आंकड़े तो यहां मेरे पास तैयार नहीं हैं; परन्तु यदि वे उत्सुक हों तो मैं ब्योरा दे सकता हूं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या आयोग के सामने कोई नया मामला पेश किया जा रहा है ?

श्री त्यागी : जी नहीं। आयोग के सामने नये मामले रखने पर अधिनियम के अनुसार रोक लगाई गई है ।

श्री केलप्पन : क्या इन महाशयों को कर के अतिरिक्त और भी कुछ अर्थदण्ड देना पड़ा ?

श्री त्यागी : कर में अर्थ-दण्ड समाविष्ट हैं ।

श्री केलप्पन : इस में कितना अर्थ-दण्ड था और कितना वास्तविक आय कर था ?

श्री त्यागी : यह वर्गीकरण मेरे पास अभी तैयार नहीं है। मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

श्री ए० सी० गुहा : आयोग द्वारा ये सारे मामले कब तक निबटाये जाने की अपेक्षा है ?

श्री त्यागी : यह बताना बहुत कठिन है । अभी तक ७७९ मामले निबटाये गये हैं और ७७६ बाकी हैं । अतः आयोग का आधा काम हो चुका है । बचे हुए ७७६ मामलों की जांच अलग अलग चल रही है और पहले मामलों में जितना समय

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि ये सब मामले एच्छिक रहस्यभेद के थे ?

श्री त्यागी : जी नहीं । अनुसन्धान के समय करदाताओं ने कभी कभी अधूरे रहस्यभेद किये थे जो स्वीकार कर लिए गये थे; परन्तु बाद में उनकी और भी आमदनी का पता चला। अतः दो प्रकार के निर्धारण किये गये और उन पर दो अलग अलग दरें लगाई गईं । जिन राशियों का एच्छिक रहस्यभेद किया गया उन पर ६६ २/३ प्रतिशत की दर से कर लगाया गया और शेष राशियों पर साधारण दर लगाई गई । जिन राशियों का स्वमेव रहस्यभेद नहीं हुआ वे अनुसन्धान के फल-स्वरूप पकड़ी गईं ।

श्री बोगावत : क्या मुझे बम्बई के मामलों की कुल संख्या बताई जायेगी ।

श्री त्यागी : यहां मेरे पास अभी वैसा वर्गीकरण नहीं है ।

डा० पी० एस० देशमुख : जिन मामलों में अधूरा रहस्यभेद हुआ और शेष अज्ञात है ऐसे मामलों में कौन कार्यवाही करता है--सरकार या आयोग ?

श्री त्यागी : आयोग के सामने पेश किये गये सब मामलों से आयोग ही व्यवहार करता है । सरकार उन में हस्तक्षेप नहीं करती । सब निर्णय आयोग द्वारा ही किये जाते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : अब नये मामले आयोग के सामने नहीं पेश किये जा सकते इस बात को ध्यान में रखते हुए छिपाई गई आमदनी के प्रकट होने वाले नये मामलों में क्या कार्यवाही करने का सरकार का इरादा है ?

श्री त्यागी : ऐच्छिक रहस्यभेद की योजना के अन्तर्गत लगभग २० हजार मामले प्रकट हो चुके हैं । इस ऐच्छिक रहस्यभेद के आन्दोलन का लाभ जिन्होंने नहीं उठाया यदि ऐसे करदाताओं के कुछ मामले अब प्रकट होंगे तो उन पर नियम के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार ने इसकी भी कोई जांच की कि यह छिपाई गई आमदनी सामान्य लाभ से प्राप्त हुई थी या काले बाज़ार की नफ़ाखोरी से ?

श्री त्यागी : इस में दोनों प्रकार के लाभ सम्मिलित हैं--परन्तु मुझे विश्वास है कि इस की अधिकांश भाग चोर बाज़ारी से प्राप्त हुआ है ।

विश्व बैंक में जमा

*१५०२. **पंडित सी० एन० मालवीय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हमारी सरकार को ज्ञात है कि कनाडा ने सदस्य राष्ट्रों को ऋण देने के लिए विश्व बैंक में १४,६४२,००० पौंड जमा किये हैं;

(ख) क्या कैनेडियन प्राधिकारियों ने हमारी सरकार के सामने कोई प्रस्ताव रखा है;

(ग) क्या उपरिनिर्दिष्ट राशि से ऋण प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार ने कोई नई प्रार्थना की है; तथा

(घ) यदि (क) और (ख) के उत्तर हां हैं तो भारत को कितना ऋण दिये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां । कैनेडियन सरकार ने पुनः

निर्माण और विकास विश्व बैंक में सदस्य राष्ट्रों को ऋण देने के लिए अपने हिस्से की प्रार्थित पूंजी में से ४१० लाख कैनेडियन डालर जमा कर दिये हैं।

(ख) से (घ)। यह राशि विश्व बैंक को सौंपी गई है और उक्त बैंक की साधारण सम्पत्ति बन गई है। इसलिए कैनेडियन सरकार द्वारा हमारे सामने कोई प्रस्ताव रखे जाने का या हमें उससे ऋण की प्रार्थना करने का सवाल ही नहीं उठता।

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान, क्या यह तथ्य है कि कैनेडियन सरकार द्वारा यह राशि जमा की जाने के कारण हमें विश्व बैंक से ऋण मिलने की आशा बढ़ गई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं नहीं मानता कि कनेडियन सरकार के संकल्प से इस पर कोई असर पड़ता है। यदि मिले हुए ऋण में से हम कैनेडियन डालर क्षेत्र से माल खरीदना चाहें तो विश्व बैंक के पास यह राशि हमें देने के लिए उपलब्ध रहेगी। परन्तु बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन ही यह ऋण मिलेगा।

श्री रघवय्या : हमें मिलने वाले ऋण पर किस दर से ब्याज देना पड़ता है और कुल कितनी राशि हमें देनी पड़ती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : पूर्व कार्यवाही का अवलोकन करने पर माननीय सदस्य को यह सब जानकारी मिल जायेगी। यह विशिष्ट वस्तु ऋण है ही नहीं। ब्याज की दरें करार के अनुसार बदलती रहती हैं।

राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय में स्थानों का रक्षण

*१५०४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय में प्रतिवर्ष जो अधिकारियों की रिक्तियां होती हैं उन में से क्या कुछ स्थान सैनिकों के लिए रक्षित रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष रक्षण का प्रतिशत क्या है; और

(ग) इस भर्ती के लिए निश्चित आयु सीमा कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) १० प्रतिशत।

(ग) २१ से २५ वर्ष।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए सैनिकों से कौन सी अर्हताएं अपेक्षित हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूर्व सूचना, श्रीमान्।

डा० राम सुभग सिंह मैं जान सकता हूं कि क्या प्रादेशिक सेना के सदस्यों को इस विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कोई रियायत दी जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी। सैनिकों के लिए जो १० प्रतिशत स्थान रक्षित हैं उनमें से २ १/२ प्रतिशत प्रादेशिक सेना के सदस्यों के लिए रक्षित हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : ये १० प्रतिशत रिक्तियां क्या प्रतियोगीय परीक्षा द्वारा भरी जाती हैं ? यदि नहीं तो दूसरी कौन सी रीति से ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूर्व सूचना ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि इस विद्यालय में भरती करते समय फ़ौजी और गैर-फ़ौजी जातियों में कोई भेद किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भेद है ।

गारो पहाड़ियों में चूने का पत्थर

*१५०५. **जनाब अमजद अली** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम की गारो पहाड़ियों में चूने का पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ;

(ख) उस सोत का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही, यदि कोई हो, की गई है; तथा

(ग) गारो पहाड़ियों के भीतरी भाग से इस माल को बाहर लाने के लिए परिवहन के कौन से साधनों को काम में लाने का इरादा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार ने ऐसा प्रतिवेदन भेजा है कि एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लि० और आसाम माइनिंग कार्पोरेशन लि० नाम की दो भारतीय निकायों को गारो पहाड़ियों के कतिपय क्षेत्रों से चूने का पत्थर तथा दूसरे खनिज पदार्थ निकालने के लिए खान खोदने के दो पट्टे दिये गये हैं ।

(ग) गारो पहाड़ियों के जिन क्षेत्रों में चूने का पत्थर उपलब्ध है उन क्षेत्रों को आसाम के प्रमुख रेल पथों से जोड़ने वाला रेल-पथ बना कर परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है ।

जनाब अमजद अली : क्या दूसरे खनिज पदार्थों में कोयला भी शामिल है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरी राय में इसमें कोयला शामिल नहीं है--परंतु मैं निश्चित नहीं हूं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या इस क्षेत्र में कोई वास्तविक खोज की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा मैंने निवेदन किया कुछ खोज की गई है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : यदि सच्ची खोज हुई है तो माननीय मंत्री जी के पास ऐसी जानकारी क्यों नहीं है जिसके आधार पर वे हमें सारांश रूप में आभास दे सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध विशेषत: चूने के पत्थर से है ।

जनाब अमजद अली : उनका उत्तर दूसरे खनिज पदार्थों का निर्देश करता है। वे हमें उन के नाम बताने की स्थिति में अवश्य होने चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस विषय में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिये ।

जनाब अमजद अली : तर्क वितर्क का कोई सवाल नहीं है । वे हमें जानकारी देने की स्थिति में होने चाहियें

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय मंत्री वह जानकारी देने की स्थिति में नहीं हैं। माननीय मंत्री को जानकारी देने के लिये विवश करना चाहिये या नहीं इस बात का निर्णय पीठासीन अधिकारी को होना चाहिये ।

सार्वजनिक विद्यालय

*१५०८. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

भारत सरकार जिन सार्वजनिक विद्यालयों को सहायक अनुदान देती है उनकी संख्या और नाम क्या हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) : कोई नहीं ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने किंग जार्ज स्कूल का गठन अब सार्वजनिक विद्यालय के आधार पर किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या लव्ह-डेल तथा हिमालय हिल्स में स्थित दो विद्यालय सरकारी संस्थायें हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां ।

श्री वैलायुधन : क्या ऊटकमंड, अजमेर और बंगलोर के सार्वजनिक विद्यालय सरकार द्वारा चलाये जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने पहले ही बताया है कि ये सब सार्वजनिक विद्यालय सरकार द्वारा नहीं चलाये जाते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र : मैं जान सकता हूं कि क्या इनमें से कुछ विद्यालयों को सरकार चलाती है ?

श्री के० डी० मालवीय । जी नहीं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या लव्ह-डेल के सार्वजनिक विद्यालय के प्रशासन को पुर्नसंगठित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री के० डी० मालवीय : लव्हडेल तथा सनावर के विद्यालयों के सिवाय दूसरी किसी भी संस्था का संचालन सरकार के हाथ में नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या लव्हडेल के सार्वजनिक विद्यालय के प्रशासन को पुर्नसंगठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ?

श्री के० डी० मालवीय : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री वैलायुधन : क्या मंत्री जी यह जानते हैं कि इन विद्यालयों में नौकरी देने के लिये प्रार्थनापत्र सरकार आमंत्रित करती है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक इन विद्यालयों का प्रश्न है सरकार का प्रार्थनापत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रघवय्या : इन विद्यालयों मे जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके स्वरूप के बारे में क्या मैं कुछ जान सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यहां पूरा पाठ्यक्रम बताया जाये ?

राष्ट्रीय संग्रहालय

*१५०९. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने की कोई ब्योरेवार योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कथित योजना की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी ; और

(ग) ३१ मार्च, १९५२ तक उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए कितना व्यय हुआ है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के सभासचिव (श्री के० डी० मालवीय) :

(क) जी हां ।

(ख) सम्मत योजना की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबंध संख्या ३७]**

(ग) ८,४०,९७२ रुपये ।

श्री कृष्ण चन्द्र : मैं जान सकता हूं कि क्या यह योजना प्राथमिक अवस्था से गुजर चुकी है ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी पहली अवस्था पूर्ण नहीं हुई है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह संग्रहालय नई दिल्ली की ऐसी भूमि में बनेगा जहां जीवित मानव घूमते फिरते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ये प्रश्न व्यंग या व्याजोक्ति के बिना नहीं पूछे जा सकते ? सीधा उत्तर जानने के लिये सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है । मैं चाहता हूं कि उभय पक्ष व्यग या व्याजोक्ति से काम न लें ।

श्री कृष्ण चन्द्र : मैं जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये भवन निर्माण का काम शुरू हो गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं ।

श्री एन० पी० दामोदरन : मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली शहर के किस भाग में बनेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिये जयपुर हाउस को अधिग्रहण किया गया है ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या भूतपूर्व वाइसराय महोदयों की मूर्तियां इस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी जायेंगी ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं ।

श्री कृष्ण चन्द्र : मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रपति भवन में जो बीजरूप संग्रहालय है वह जनसाधारण के लिये खुला रखा

श्री के० डी० मालवीय : जी हां ।

किसानों को ऋण

*१५१०. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किसानों को ऋण देने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं का कोई अनुसन्धान किया जा रहा है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक पूर्ण होने की अपेक्षा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां । भारत के रिज़र्व बैंक के अधीन अखिल भारतीय स्तर पर देहाती ऋण सुविधाओं का परिमाप किया जा रहा है । इसी परिमाप में किसानों को ऋण देने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं का समावेश होगा । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा भी इस प्रश्न का अध्ययन हो रहा है ।

(ख) अभी अपेक्षा यह है कि अक्तूबर १९५२ के अन्त तक भारत के रिजर्व बैंक के परिमाप का प्रतिवेदन पूरा हो जायेगा । अधिक अन्न उपजाओ अनुसन्धान समिति ने पहले ही अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी एजैन्सीज हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : इसकी तफसील उस निवेदन में मिल जायेगी ।

डा० पी० एस० देशमुख : किसानों को ऋण देने के लिये भारत के रिज़र्व बैंक ने अभी तक कितनी राशि दी है यह जानकारी क्या वित्त मंत्री हमें दे सकेंगे?

श्री सी० डी० देशमुख : यदि माननीय

राशि की जानकारी चाहते हैं तो सन् १९५१–५२ के लिये १२ करोड़ से कुछ अधिक रुपये मंजूर हुए थे, जिनमें से १० करोड़ ३९ लाख रुपये उठाये जा चुके हैं। इस राशि पर बैंक-दर से २ प्रतिशत कम ब्याज देना पड़ता है।

डा० पी० एस० देशमुख : रिज़र्व बैंक कितनी दर लगाती है और किसान को किस दर से ऋण मिलता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर तो दे दिया गया है। वह दर बैंक दर से २ प्रतिशत कम होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे बैंक दर जानना चाहते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि वे उसे जानते हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : दूसरे भाग का उत्तर मैं दे रहा हूं। साधारणत: ये सहकारी बैंक अपना ख़र्चा लगाते हैं जो लगभग १ १/२ प्रतिशत होता है। अत: जब वह राशि प्रांतीय सहकारी बैंक से जिला बैंक को और जिला बैंक से प्राथमिक समिति को पहुंचती है तब उसमें १ १/२ से २ प्रतिशत जोड़े जा चुकते हैं। अतएव किसान को वह राशि ६ या ६ १/२ प्रतिशत की दर से मिलती है ऐसी मेरी कल्पना है।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या किसानों को ऋण देने के लिये अनुसूचित बैंकों को भी कोई राशि दी जाती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत मद्रास राज्य के किसानों को कितनी राशि दी गई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री रघवय्या : मैं जान सकता हूं कि इस योजना से क्या भारतीय किसानों के सिर पर बढ़ने वाले ऋण के बोझे का कुछ अल्पांश भी कम करने में कोई सहायता मिलती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि दिये हुये ऋण का क्या उपयोग होता है और यह ऋण साधारणत: समाज की किस श्रेणी को मिलता है इन बातों पर नजर रखने के लिये भारत के रिज़र्व बैंक ने क्या कोई व्यवस्था की है ?

श्री सी० डी० देशमुख : किसान को तो सीधे ऋण नहीं दिया जाता है। बीच में बहुत से मध्यस्थ रहते हैं।

श्री के० के० बसु : रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों का नियंत्रण किया जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि इन ऋणों का उपयोग कैसा होता है इस बात पर नज़र रखने के लिये रिज़र्व बैंक ने कोई तत्सम प्रबंध किया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : अनुसूचित बैंकों पर नियंत्रण होता है इस का अर्थ यह नहीं कि उन बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों का अलग अलग परीक्षण किया जाता है। सहकारी बैंकों के बारे में यह प्रश्न उठता ही नहीं।

श्री रघवय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या इस योजना के अन्तर्गत किसानों

को ऋण देने के फलस्वरूप किसानों की ऋणग्रस्तता हटने में कोई मदद मिलेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : ये ऋण कृषि-कार्यों में सहायता देने के लिये दिये जाते हैं न कि किसानों की ऋणग्रस्तता हटाने के लिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि इन ऋणों के वितरण में बहुत समय लगता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सहकारी समितियों से व्यक्तिगत किसान को मिलने में ?

श्री बी० एस० मूर्ति : जी हां, इतना समय लगता है कि जिस काम के लिये पैसा दिया जाता है उस काम के लिये उसका उपयोग नहीं हो पाता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह हो सकता है । और यदि इतना अधिक समय लगता हो तो मुझे विश्वास है कि आगामी परिमाप में उस की तरफ ध्यान खींचा जायेगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या वे इस विषय में जांच करवायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : परिमाप चल रहा है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या ऋण के वितरण में अत्यधिक समय लगने के निश्चित मामलों की सूचि तामिलनाड, खास कर तंजौर ज़िले से, प्राप्त हुई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : व्यक्तिगत मामलों का रिज़र्व बैंक तक पहुंचना स-भव नहीं है । जैसा कि मैं कह चुका हूं, समय लगता है या नहीं इस बात का पता लगाने के लिये अभी परिमाप जारी है वैसा परिमाप ही एकमेव मार्ग है ।

उपाध्यक्ष महोदय : परिमाप अभी पूरा नहीं हुआ है ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि कुछ राज्यों में भूमिबंधक तथा उधार बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देने के बारे में जो सौदे हुये हैं उनके बारे में क्या कोई अनुसन्धान हुआ है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रश्न का आशय ठीक तरह से नहीं समझा; परन्तु क्या मैं परिमाप की व्यापकता की जानकारी दे दूं जो इस प्रकार है: देहाती ऋण ग्रस्तता विविध श्रेणी के किसानों की ऋण विषयक साधारण आवश्यकतायें विशेषत: देहाती क्षेत्रों में विविध साहूकारी संस्थाओं का कार्य, देहाती अर्थ व्यवस्था में बचते या घाटे का स्वरूप और देहाती क्षेत्रों म पूंजीवर्धन के विविध पहलुओं का अध्ययन ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या सहकारी और अनुसूचित बैंको को छोड़कर भूमिबंधक बैंकों अथवा दूसरी किन्हीं संस्थाओं को किसानों को ऋण देने के लिये कोई रियायत मिलती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सहकारी संस्था अधिनियम में भूमिबंधक बैंक आ जाते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : जी नहीं श्रीमान् ।

श्री सी० डी० देशमुख : भूमिबंधक बैंक चलाने के लिये उन का उपयोग नहीं होता है रिज़र्व बैंक से सहकारी आन्दोलन को मिलने वाली रियायत अभी तक केवल अल्पकालीन उधार रकम के रूप में दी जाती थी । परन्तु कुछ ही दिन पहले रिजर्व बैंक ने भूमिबंधक बैंकों के ऋण-पत्र नियमित रूप से खरीदना शुरू कर दिये हैं ।

इसके फलस्वरूप उनको पूंजी उपलब्ध हो जाती है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या मैं इस अनुसंधान म लगे हुये व्यक्तियों के नाम जान सकता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह अनुसंधान श्री ए० डी० गोरवाला के सभापतित्व में चल रहा है और प्रो० डी० आर० गाडगिल, रिजर्व बैंक के कार्यपालक संचालक श्री वैंकटप्पय्या तथा रिज़र्व बैंक के आर्थिक परामर्शदाता उन्हें सहयोग देते हैं ।

जम्मू तथा काश्मीर की रक्षक सेना

*१५१२. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जम्मू तथा काश्मीर की रक्षक सेना के क्या क्या काम हैं; तथा

(ख) क्या इस बल को कभी काश्मीर की युद्धरोको सीमा पर कार्य के लिये नियुक्त किया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जम्मू तथा काश्मीर की रक्षक सेना अभी आन्तरिक रक्षा, सीमा संरक्षण और संचार-संरक्षण में लगी हुई है ।

(ख) जी हां ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं जान सकता हूं कि इस सेना में भर्ती करने की रीति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने केवल कृत्यों के बारे में जानकारी चाही थीं; 'भर्ती की रीति कैसी है' आदि कह कर वे एक अधिक उपखंड जोड़ सकते थे ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास जानकारी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्नों के लिये बहुत विषय नहीं रखने चाहिये जब कि वे प्रश्न में एक अधिक उपखंड जोड़ सकते हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सेना से कुछ संपरित्याग हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भी नहीं उठता ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या जम्मू तथा काश्मीर की रक्षक सेना वहां स्थित भारतीय सेना का अविभाज्य अंग हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह स्पष्ट है कि वह भारतीय सेना के सहयोग में काम करती है ।

जनाब अमजद अली : क्या मैं जान सकता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर की स्थायी सेना से इस रक्षक सेना का क्या सम्बन्ध है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूर्व सूचना ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : भारतीय संविधान के अनुसार रक्षा का विषय केन्द्रीय सरकार को सौंपा गया है । काश्मीर सरकार एक स्वतन्त्र रक्षक सेना कैसे रख सकती है ? क्या यह संविधान के विरुद्ध नहीं है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : काश्मीर की रक्षक सेना वस्तुतः आरक्षी दल है । वह एक सशस्त्र आरक्षी दल है जिस के प्रशिक्षण के लिये हमने कुछ समय के लिये कुछ सैनिक अधिकारी दिये हैं । यातायात मार्गों का संरक्षण करने के लिये कभी कभी उसका

उपयोग किया गया था दूसरे किसी काम के लिये नहीं। हमारे अधिकारी उसके पास हैं इसलिये वह हमसे संबद्ध कही जा सकती है। अन्यथा वह तो एक संपूर्णतया स्वतंत्र दल है; नियमित सेना नहीं है; उसका सेना से कोई वास्तविक संबन्ध नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्ति : नगरीय उपद्रवों को शान्त करने के लिये सरकार ने इस सेना से कितनी बार काम लिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : 'काम लिया है' इन शब्दों के प्रयोग से माननीय सदस्य का क्या आशय है यह सचमुच मेरी समझ में नहीं आता है। मेरी राय में काम तो तब होता है जब बड़े दल बल के साथ हमला किया जाता है। उस से छोटी मोटी हल चल का निर्देश नहीं होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि काम लिया शब्द से वे क्या ज्ञात करना चाहते हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : मेरा आशय यह है कि क्या काश्मीर सरकार द्वारा उसे नगरीय उपद्रवों को शान्त करने में मदद देने के लिये इस सेना को काम में लाये जाने का आदेश दिया गया था।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पहिले ही उत्तर में बताया गया था कि 'आन्तरिक रक्षा, सीमा-संरक्षण और यातायात संरक्षण में लगी हुई है'। यही तो उसका कार्य है।

श्री वी० जी० देशपांडे : इसका मतलब यह है कि वह रक्षा से संबद्ध है। मैं चाहता. . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस मामले पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं जानकारी चाहता हूं.....

श्री जवाहरलाल नेहरू : वस्तुतः यह एक आरक्षी दल है और जहां काम पड़े वहां उसका उपयोग किया जाता है। आरक्षी दल के सामान्य कर्तव्य नहीं—वह एक सशस्त्र आरक्षी दल है जिसका उपयोग विशेष मामलों में होता है, कभी आन्तरिक मामलों में और कभी आप्रवेश जैसे बाह्य मामलों में। वह किसी प्रकार से भी सेना का अंग नहीं है।

श्री वी० जी० देशपांडे : उसको रक्षक सेना क्यों कहते हैं ? क्या भारत के किसी विभाग में आरक्षी दल को रक्षक सेना कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम चर्चा शुरू कर रहे हैं ?

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं केवल जानना चाहता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री वी० जी० देशपांडे : और एक प्रश्न यह है : इस रक्षक सेना का नेशनल कौन्फ्रेंस से क्या कोई सम्बन्ध है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वह राज्य का बनाया हुआ सगठन है। नेशनल कान्फ्रेंस राज्य से सम्बन्धित है—किसी सांवैधानिक दृष्टि से नहीं। लोकप्रिय संगठनों से राज्य सरकार को शक्ति मिलती है अन्यथा उसका नेशनल कौन्फ्रेन्स से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री वी० जी० देशपांडे : हम सरकार से असंदिग्ध घोषणा चाहते हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री एस० एस० मोरे : क्या ऐसा कोई राज्य अधिनियम लागू है जिसके फलस्वरूप यह तथाकथित आरक्षी दल बनाया गया और जिसके अधीन यह काम कर रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूर्व-सूचना।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या प्रथम यह रक्षक सेना नैशनल कान्फ्रैन्स से सम्बन्धित स्वयंसेवक दल के रूप में शुरू हुई और बाद में उस को राज्य सरकार के अधीन रक्षक सेना का रूप दिया गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह स्वाभाविक है कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूं । कदाचित् इस बारे में मैं अपने उन माननीय मित्र से कुछ अधिक जानता हूं । वस्तुतः उनके एक या दो उत्तरों से मुझे आश्चर्य हुआ। यह रक्षक सेना—मैं स्मृति के आधार पर बोल रहा हूं ; मेरे पास पत्रादि नहीं हैं ; मैं नहीं जानता कि कुछ छोटे-मोटे ब्यौरों में मेरा निवेदन बिल्कुल सही है या नहीं— यह रक्षक सेना अक्तूबर १९४७ के आक्रमणों के कुछ दिन बाद शुरू हुई। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्य सरकार ने इसकी नींव डाली ; परन्तु सैन्यभर्ती तथा तत्सम कार्यों में नैशनल कान्फ्रैन्स ने सरकार की मदद की। भारतीय सेना पहुंचने के कुछ दिन पहले केवल नैशनल कान्फ्रैन्स ही एकमेव संघटन था जो आक्रमणकारियों का प्रतिकार कर रहा था । तदनन्तर यह सेना बनी और वह राज्य-सरकार का अंग बनी । नैशनल कान्फ्रैन्स का सम्बन्ध केवल इतना ही था कि उसने अनधिकृत रूप से सरकार की मदद की और कुछ नहीं ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं इसका संधारण कौन करता है : जम्मू तथा काश्मीर की राज्य सरकार या भारत सरकार ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसा कि मैंने कहा है, वह एक राज्य संघटन है और राज्य सरकार उसका संधारण करती है । परन्तु मैं समझता हूं कि कुछ खास परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ६० लाख रुपयों से अधिक की राशि अतिरिक्त खर्चे के लिये दी थी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यदि वह सेना नहीं है केवल आरक्षी दल ही है तो इस प्रश्न की अनुमति क्यों दी गई ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य को प्रश्नों की अनुमति देने के विषय में सभाध्यक्ष के विवेक पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये।

श्री जवाहरलाल नेहरू : वह सेना ही है । मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य का अभिप्राय क्या है । किसी ने यह नहीं कहा कि वह सेना नहीं है । वह साधारण आरक्षी दल नहीं है। वह एक सेना है जिसका प्रमुख कार्य यातायात मार्गों आदि का संरक्षण करना है और जो आपात के समय दूसरे कामों में भी लाई जा सकती है ।

श्री अच्युतन : इस सेना की संख्यात्मक सामर्थ्य क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : लगभग ६,००० या ६,५०० ।

जनाब अमजद अली : क्या माननीय प्रधान मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि इस सेना का जम्मू तथा काश्मीर की स्थायी सेना से क्या सम्बन्ध है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जम्मू तथा काश्मीर की स्थायी सेना कार्यकरण आदि के हेतु भारतीय सेना में पूर्णतया सम्मिलित कर ली गई थी। हो सकता है कि कुछ सामान्य प्रशासकीय मामलों में कुछ हद तक उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो ; फिर भी वह भारतीय सेना का अंग है । वास्तव में, जम्मू तथा काश्मीर की रक्षक सेना इस रीति से सम्मिलित नहीं की गई । वह पूर्णतया

स्वतंत्र वस्तु है जिस की व्यवस्था राज्य सरकार करती है और जिसको भारतीय सेना के अधिकारी केवल मदद देते हैं। इस का संधारण राज्य सरकार ही करती है परन्तु, जैसा कि मैंने कहा, अतिरिक्त व्यय की थोड़ी राशि कुछ हद तक हमारी सरकार द्वारा दी गई है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या गैर-काश्मीरियों को इस सेना में भर्ती किया जाता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी राय में, सामान्यत: नहीं। स्थानीय कामों के लिये स्थानीय लोगों को ही भर्ती किया जाता है। मुझे ज्ञात नहीं मदि प्रतिवंध का कोई प्रश्न उठता हो। वह एक पूर्णतया स्थानीय वस्तु है।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या इस सेना के अधिकारी नैशनल कान्फ्रैन्स के सदस्य हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं कह नहीं सकता ; किन्तु मुझे आशा है कि वैसा ही होगा।

श्री एन० सी० चटर्जी : हमारी सरकार न ५० या ६० लाख रुपये खर्च किये हैं, इस तथ्य के फलस्वरूप इस सेना के निर्माण या कार्यकरण में क्या हमारी कोई आवाज़ है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उस में हमारे श्रेष्ठ अधिकारी हैं। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य दूसरे किस नियंत्रण के बारे में सोच रहे हैं। हमारे अधिकारी ही उन सैनिकों का अधीक्षण करते हैं और उनको प्रशिक्षण देते हैं।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि काश्मीर की अनिश्चित परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इस राष्ट्रीय सेना की सामर्थ्य बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जम्मू तथा काश्मीर सरकार इस बात का निर्णय करेगी ; हम नहीं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्रीमान्, क्या मैं आन सकता हूं कि इस सेना के भगोड़ों से कौन व्यवहार करते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जो उनको पकड़ते हैं।

विश्वविद्यालय निधि की सहायता

*१५१३. **श्री एस० एन० दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल ही में स्थापित की गई विश्वविद्यालय सहायक निधि का प्रशासी निकाय संगठित हुआ है और क्या उस ने कार्यभार संभाल लिया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई कुल राशि कितनी है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनसन्धान मंत्री के सभा सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) प्रशासी निकाय को अभी संगठित करना आवश्यक नहीं समझा गया। यदि भविष्य में प्रशासी निकाय की आवश्यकता प्रतीत हुई तो इस विषय पर सम्यक् विचार होगा।

(ख) भारत सरकार ने इस निधि को कोई भी राशि नहीं दी है। संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा दिये गये ऐच्छिक अंशदानों और दानों से प्राप्त होने वाली राशि पर ही यह निधि निर्भर रहेगी।

श्री एस० एन० दास : जिस प्रस्ताव के अनुसार यह निधि स्थापित हुई है उस में कहा गया था कि शीघ्र ही प्रशासी निकाय बनाया जायेगा। श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा इस के स्थगित किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैंने कहा है, सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि प्रशासी निकाय अभी नियुक्त किया जाये ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि यह निधि किसी प्रस्ताव के फलस्वरूप स्थापित की गई है या सरकारी आदेश से ?

श्री के० डी० मालवीय : इस प्रस्ताव से अथवा उस के पारित किये जाने से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं था ।

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस राशि से दिये जाने वाले दान क्या तदर्थ रूप में दिये जाते हैं अथवा किसी विशेष हेतु के लिये दिये जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : निधि समिति के सभापति द्वारा निधि का संचालन होता है और माननीय शिक्षा मंत्री इस समिति के सभापति हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : इस सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा लगभग १ लाख रुपये का जो वचन दिया गया था क्या सरकार को वह पूरी राशि मिल गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं। वह मिल रही है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं इस निधि के क्षेत्र की व्यापकता जान सकता हूं—क्या इसमें सब विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं अथवा केवल कुछ ही ?

श्री के० डी० मालवीय : सभी विश्व-विद्यालय ।

डा० पी० एस० देशमुख : अब तक इस निधि में कुल कितने रुपये जमा हुए हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं परन्तु कुछ व्यक्तियों ने दान दिये हैं और उन की किस्तें वसूल हो रही हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या यह तथ्य नहीं है कि अभी तक १०,००० से अधिक रुपये जमा नहीं हुए हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं ।

श्री के० डी० मालवीय : हम इस निधि के लिये कोई बड़ी राशि जमा नहीं कर पाये हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐच्छिक दानों को प्रोत्साहन देने के हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : प्रयत्न तो अभी शुरू हुआ है और धन धीरे धीरे जमा हो रहा है ।

श्री के० के० बसु : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छिपाई गई आमदनी की अधिकाधिक राशि अस्तित्व में है, क्या सरकार ने इन लोगों से इस निधि की सहायता करने की अपील की है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं ।

भारतीय नौ-सेना

*१५१६. **श्री० सी० आर० नरसिंहन :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पनडुब्बियों का कोई बेड़ा भारतीय नौबल से संबद्ध है ;

(ख) पनडुब्बियों के एक छोटे बेड़े को चलाने के लिये अपेक्षित कर्मचारियों के प्रशिक्षण देने में कितना समय लगेगा ; तथा

(ग) इस के लिये कितना व्यय करना पड़ेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारत में पनडुब्बियों के नौविकों को प्रशिक्षण देने की सुविधायें न होने से यह सारा प्रशिक्षण विदेश में ही दिलाना होगा। अतः हमें खेद है कि इस प्रशिक्षण में कितना समय और खर्च लगेगा यह इसी समय बताना संभव नहीं है।

सोना के निवृत्ति-वेतन तथा उपदान विषयक नियम

*१५१७. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सैनिकों के निवृति-वेतन तथा उपदान विषयक नियम जिन के बारे में यह कहा गया था कि उनका पुनरीक्षण हो रहा है अब प्रकाशित हो चुके हैं; तथा

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब का कारण क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). सैनिकों के निवृत्ति-वेतन विषयक नियमों का पुनरीक्षण करने के लिये नियुक्त की गई अन्तर्विभागीय समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर सरकार अभी विचार कर रही है। समिति ने एकमत होकर सिपारिशें नहीं की हैं। निवृत्ति-वेतन विषयक नियम बहुत अधिक तथा जटिल हैं और उनके पुनरीक्षण का वित्तीय प्रभाव गम्भीर होगा। समिति की सिपारिशों की ब्योरेवार परीक्षा हम अभी तक पूरी नहीं कर सके हैं और विद्यमान निवृत्तिवेतन संहिता के पुनरीक्षण के विभिन्न पहलुओं पर कोई अन्तिम निर्णय भी नहीं कर सके हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार को यह विदित है कि इन नियमों के बारे में अन्तिम निर्णय न होने के फलस्वरूप सैनिकों में बहुत असंतोष है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार यह नहीं कह सकती कि असंतोष होने का उसे ज्ञान है। हो सकता है कि कुछ शिकायतें हों जिनके बारे में सरकार सतर्क है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार इन नियमों को अन्तिम रूप देने के काम में शीघ्रता करने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यही विचार है, श्रीमान्।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि समिति की सिपारिशों में मतभेद है, ऐसी अवस्था में सरकार का क्या करने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विमतियों का समन्वय कर के सर्वसम्मत मार्ग निकालने की कोशिश करना।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि सैनिकों को इस विलम्ब के विरुद्ध सामुदायिक रूप से अथवा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक अभिवेदन पेश करने का कोई मार्ग है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि प्रश्न केवल सैनिकों के प्रतिनिधित्व के विषय में हो तो वास्तव में उनको प्रतिनिधान दिया गया है। तीनों ही बलों के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने अपने अभिवेदन पेश किये हैं। परन्तु यदि शीघ्र निर्णय के लिये आन्दोलन करने का प्रश्न है तो मेरा उत्तर नकारात्मक है।

हिन्दी

*१५१८. **श्री मुनिस्वामी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास राज्य में हिन्दी का प्रचार करने के लिये सन् १९५१-५२ में कुल कितनी राशि व्यय हुई; तथा

(ख) प्राच्य उपाधियों के लिये हिन्दी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री के सभा-सचिव (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) सन् १९५१-५२ में केन्द्रीय सरकार ने इस काम पर कोई खर्च नहीं किया है।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस वर्ष कुछ रुपये खर्च करने का सरकार का विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उपबन्ध किया गया है। माननीय सदस्य आयव्ययक में देख सकते हैं।

श्री के० डी० मालवीय : हिन्दी प्रचार की साधारण योजना के अन्तर्गत कुछ रुपये खर्च किये जाने की अवश्य संभावना है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ऐसा नियम है कि जिसका पालन सदस्यों द्वारा होना चाहिये। उनम कुछ सदस्य नये हैं। जो जानकारी आयव्ययक पत्रों में अथवा पुस्तकालय से प्राप्य अन्य किताबों में उपलब्ध है उसके लिये सदन में प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये।

श्री वैलायुधन : भारत सरकार हिन्दी के प्रचार के लिये कौन कौन से पग उठा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : भारत सरकार ने हिन्दुस्तानी प्रचार सभा जैसी संस्थाओं को प्रश्रय दिया है। सरकार हिन्दुस्तानी प्रचार सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन को मदद देती है। ऐसी और भी संस्थायें हैं जिनको सरकार से मदद मिलती है।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं में हिन्दी अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव था ?

श्री के० डी० मालवीय : कुछ राज्यों में वह अनिवार्य है ही।

श्री वीरस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि मद्रास राज्य में द्रविड़ फेडरेशन हिन्दी विरोधी प्रचण्ड आन्दोलन चला रहा है और जनता अपने बच्चों के सिर पर हिन्दी लादी जाने को कड़ा विरोध कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : कुछ ऐसे स्थान हैं जहां कुछ आन्दोलन किया जा रहा है, परन्तु सरकार के पास ऐसे आन्दोलन की प्रचण्डता की जानकारी नहीं है।

कुमारी आनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा पर क्या कुछ धनराशि खर्च की जा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस विषय की पूर्व सूचना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

छावनी समिति

*१५०० **सेठ गोविन्द दास** : (क) रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या छावनी अधिनियम में संशोधन करने के लिये नियुक्त की गई छावनी समिति ने अधिनियम को संशोधित करने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं ?

(ख) यदि की हैं तो क्या उक्त अधिनियम को संशोधन करने के लिये एक विधेयक इस सत्र में रखा जायेगा ?

(ग) यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

(घ) यह प्रतिवेदन कब प्रेषित किया गया था और क्या उसमें कोई असहमति टिप्पणी भी थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न उठता नहीं।

(घ) प्रतिवेदन दो खण्डों में पेश किया गया था। प्रथम खण्ड ७ अप्रैल १७५१ को पूरा हुआ ।, उसके साथ दो विमति टिप्पणियां थीं और वह ४ सितम्बर १९५१ को सदन पटल पर रखा गया था। दूसरे खण्ड पर १५ नवम्बर १९५१ को हस्ताक्षर हुए । उस की प्रति" सदन पटल पर रखी गई है [**प्रति पुस्तकालय मे रखी गई । देखिये संख्या ४. ५. २ (३४)**]

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : यह विवरण है अतः प्रश्नों की अनुमति नहीं हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मकानों का अधिग्रहण

१५०३. सेठ गोविन्द दास : (क) क्या **रक्षा** मंत्री भारत में रक्षा मंत्रालय द्वारा अब तक अधिगृहींत इमारतों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) पिछले एक वर्ष में कितनी इमारतें लौटा दी गई हैं ?

(ग) इन अधिगृहीत इमारतों का कितना किराया चुकाया जाता है, और उन से कितना किराया प्राप्त होना है ?

(घ) मंत्रालय को किराये में कितना घाटा उठाना पड़ता है ?

(ङ) इन के निवासियों ने इन में से कितनी इमारतो के भाग नागरिकों को फिर किराये पर उठा रखे हैं ?

(च) क्या सरकार ने कभी जांच की है कि अधिगृहीत इमारतों का समुचित उपयोग हो रहा है, और यदि जांच की है, तो कब ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) ३०-४-१९५२ को अधिगृहीत इमारतों की संख्या ११२ थी ।

(ख) ३०-४-१९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में, ४२ इमारतें लौटा दी गईं ।

(ग) अधिगृहीत इमारतों के लिये ६,७०,१५९ रुपये प्रति वर्ष देने पड़ते हैं ।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन पटल "पर रख दी जायेगी ।

(ङ) इन इमारतों के भाग फिर किराये पर देने की अनुमति नहीं है ।

(च) जहां तक हमें ज्ञात है, ये सारी अधिगृहीत इमारतें अधिकृत कार्यों के लिये अधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में हैं। देश भर का सब अधिगृहीत इमारतों पर एक सा नियंत्रण नहीं है परन्तु स्थानीय सैनिक प्राधिकारियों को इस की देख भाल करने का काम सौंपा गया है ।

खनिज पदार्थ

***१५०६. सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अप्रैल १९४७ से मार्च १९५२ तक का कालावधि में कोयला, मैंगनीज़ तथा अन्य कीमती खनिज पदार्थों के स्रोतों का पता चलाने के लिये जहां खोज की गई है ऐसे स्थानों की संख्या विशेषतः मध्य प्रदेश व विंध्य प्रदेश में क्या है और कितनी जगह इन खनिज पदार्थों के पृथ्वी के गर्भ में होने का अनुमान ठीक साबित हुआ ; तथा

(ख) कितने स्थानों म खोदने का काम अभी चालू है और इन स्थानों में कौन से खनिज पदार्थ मिलने की अपेक्षा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) भारत की भौमिकीय परिमाप संस्था वार्षिक वृत्तान्त प्रकाशित करती है जिसमें किये गये परिमापों की तथा उनके परिणामों की जानकारी दी है। सन् १९४७, १९४८ और १९४९ में जो काम हुआ उसकी जानकारी इन प्रकाशनों में मिलेगी जिनकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में प्राप्य हैं :

(१) भारतीय भौमिकीय परिमाप के अभिलेख ; अंक ८१, भाग १, १९४८

(२) भारतीय भौमिकीय परिमाप के अभिलेख ; अंक ८२, भाग १, १९४९,

(३) भारतीय भौमिकीय परिभाप के अभिलेख ; अंक ८३, भाग १, १९५०

सन् १९५० और १९५१ में जो काम हुआ उसकी जानकारी भारतीय भौमिकीय परिमाप अभिलेख १९५९ और (२) भारतीय भौमिकीय परिमाप अभिलेख, १९५२ में दी जायेगी जिनकी प्रतियः सदन के पुस्तकालय में रखी जायेंगी ।

(ख) भारतीय भौमिकीय परिमाप संस्था के संचालक द्वारा यह ज्ञात कर लिया गया है कि अभी इस संस्था ने खोदने का काम नहीं शुरू किया है क्योंकि काम का मौसम जो साधारणतया नवम्बर से अप्रैल तक रहता है, समाप्त हो गया है ।

जन सम्पर्क अधिकारियों द्वारा कर वसूली

१५०७. सरदार ए० एस० सहगल : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मध्य प्रदेश, भोपाल तथा विन्ध्य प्रदेश में लोगों को कर देने और प्राप्य अनुतोष प्राप्त करने के लिये जन सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने गत मई मास में समवेत हुए आय कर आयुक्त परिषद् के बाद ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति के फलस्वरूप कर वसूली में हुए सुधार की जांच की है ;

(ग) यदि की है तो इस सुधार का फल क्या है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) इन क्षेत्रों में कोई जन सम्पर्क अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर के फलस्वरूप प्रश्न उठता नहीं ।

दिल्ली की प्राचीन इमारतें

१५११. श्री सिंहासन सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पुरातत्व विभाग के पर्यवेक्षण के अधीन दिल्ली की प्राचीन इमारतों की संख्या कितनी है और उनके संधारण पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय होती है ;

(ख) क्या सरकार ने दर्शकों के सुविधा तथा सौकार्य के लिये कोई वैतनिक मार्गदर्शक नियक्त किये ?

(ग) यदि (ख) का उत्तर हां है तो ऐसे स्मारकों में नियुक्त मार्गदर्शकों की संख्या कितनी है ; तथा

(घ) यदि (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे मार्गदर्शक नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) दिल्ली में पुरातत्व विभाग के अधीन १५० प्राचीन स्मारक हैं । लगभग १,६०,००० रुपयों की राशि इन स्मारकों के संधारण पर प्रति वर्ष व्यय होती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली प्रादेशिक पर्यटक कार्यालय में इस समय दो मार्गदर्शक नियुक्त हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां

३४७. **श्री गणपति राम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार और अपने दिल्ली स्थित दूतावास के द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच संयुक्त राज्य सरकार जो छात्रवृत्तियां तथा शिष्यवृत्तियां भारतीयों को चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष देना चाहती है उन के बारे में चर्चा हो रही है ; तथा

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित छात्रवृत्तियों की कुल संख्या और राशि क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) और (ख). २८ जून १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३१० के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

वैज्ञानिक परिभाषा पर्षद्

३४८. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वैज्ञानिक परिभाषा पर्षद् के सदस्यों के नाम, अर्हताएं तथा पारिश्रमिक क्या हैं ; तथा

(ख) यह पर्षद् कितने समय से अस्तित्व में है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान २८ जून १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३०९ की ओर आकर्षित किया जाता है । अवैतनिक सदस्यों का यह पर्षद् अक्तूबर १९५० में नियुक्त किया गया था ।

केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त व्यक्ति

३४९. **श्री एन० एस० नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार के १०० रुपयों से कम निवृत्ति-वेतन लेने वाले सेवा निवृत्तों की विविध श्रेणियां कौन सी हैं ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्ति हैं ;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में निवृत्ति-वेतन की कुल कितनी राशि दी जाती है ; तथा

(घ) क्या निर्वाह-व्यय बढ़ने के फलस्वरूप सेवानिवृत्तों को कोई क्षतिपूर्ति अनुतोष दिया गया है, और यदि दिया गया है, तो कितना ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग), प्रतिमास १०० रुपयों से कम निवृत्ति वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के सेवा निवृत्तों का श्रेणीवार

वर्गीकरण नहीं किया गया है। उनकी विशेष सेवा की कालावधि और सेवा के अन्तिम तीन वर्षों के औसत वेतन का हिसाब जोड़ कर उनका निवृत्तिवेतन निश्चित किया जाता है। उन को मिलने वाले निवृत्तिवेतन की कुल राशि तुरन्त प्राप्य नहीं है और उसके ज्ञात करने में अत्यधिक समय व श्रम का व्यय होगा।

(ख) निवृत्तिवेतनों में इन दरों से अस्थायी वृद्धि की जा रही है :

निवृत्तिवेतन की राशि	वृद्धि का दर
२० रुपये प्रतिमास से अनधिक	प्रतिमास ४ रुपये
२० रुपयों से अधिक किन्तु ६० रुपये प्रतिमास से अनधिक	प्रतिमास ५ रुपये
६० रुपयों से अधिक किन्तु १०० रुपये प्रतिमास से अनधिक	प्रतिमास ६ रुपये
१०० रुपये प्रतिमास से अधिक	ऐसी वृद्धि की जिस से कुल निवृत्तिवेतन प्रति मास १०६ रुपये होगा

सुवर्ण का चौर्यनियन

३५०. **श्री मुनिस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सीमा-शुल्क विभाग द्वारा भारत-फ्रांसीसी सीमा पर सन् १९५१-५२ में सुवर्ण के चौर्यनियन के कितने मामले पकड़े गये ; तथा

(ख) कितने मामलों में सम्पत्ति को जब्त किया गया ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने १९५१-५२ में फ्रांसीसी भारत से सुवर्ण के चौर्यानियन किये जाने के २४३ मामले पकड़े। अन्तर्ग्रस्त सुवर्ण का मूल्य १७ लाख रुपये है।

इनमें से १६५ मामलों में ७ लाख रुपयों के सुवर्ण को जब्त करने का निश्चय किया गया। शेष मामलों में अभिनिर्णयन प्रक्रिया अभी जारी है। ६९ मामलों में अभियोग चलाना शुरू किया गया जिनमें से ६७ मामलों में अपराधियों की दोष-सिद्धि हुई।

सैनिक कर्मचारियों के लिए खरीदा हुआ कपड़ा

३५१. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में (१) भारत में तथा (२) विदेश में खरीदे गये कपड़े का कुल परिमाण कितना है ; तथा

(ख) क्या सरकार बनी बनाई वरदियां खरीदती है या स्वयं बनवाती है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) (१) ४६,३९,४७७ गज़। (२) २,५८८ गज़।

(ख) सरकार कपड़ा खरीदती है और अपनी आयुध फैक्टरी में वरदियां

बनवाकर सैनिकों को देती है। अधिकारी वर्ग अपनी वरदियों के लिये स्वयं व्यवस्था कर लेते हैं।

आयुध फैक्टरियां

३५२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सेना के लिये कनात का कपड़ा बनाने वाली आयुध फैक्टरियों के नाम क्या हैं और सन् १९५१–५२ में उनका कुल उत्पादन क्या है ;

(ख) क्या इसका कुछ अंश जन साधारण को बेचा गया था और यदि हां तो कितना; तथा

(ग) क्या इन फैक्टरियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कुछ शिशिक्षु हैं, और यदि हैं तो कितने ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) आयुध फैक्ट्रीयां कनात का कपड़ा अथवा अन्य कोई वस्त्र नहीं बसाती हैं।

(ख) जी हां, आयुध डिपो में पड़े हुए युद्धकालीन अतिरिकों से :

दोसूती, नीली, २७१,५२५ गज़।
दोसूती, धोयी हुई २८१,४२५ गज़।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि

३५३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अंतिम विश्व युद्ध की कालावधि में भूतपूर्व सैनिकों की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि के लिए कुल कितना धन जमा हुआ था ;

(ख) उपर्युक्त निधि से प्रत्येक राज्य को कितना धन बांटा गया ;

(ग) विभिन्न राज्य निधि न्यास समितियों द्वारा अभी तक कितना धन व्यय किया गया है और कितना अभी बाकी है ; तथा

(घ) क्या विभिन्न राज्य समितियों से कोई सावधिक प्रतिवेदन लिये जाते हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) वैयक्तिक स्रोतों से धन इकट्ठा नहीं किया था किन्तु सरकार ने प्रतिमास प्रत्येक सैनिक के पीछे दो रुपये और असैनिक के पीछे १ रुपया देकर १ अप्रैल १९४२ से ३१ मार्च १९४५ तक की कालावधि में कुल १३,३२,९६,००० रुपयों की निधि स्थापित की।

(ख) इसमें से २० प्रतिशत, याने २,६६,५१,२०० रुपये सेवारत कर्मचारियों के हित के लिये सशस्त्र बलों के पुनर्निर्माण निधि में रक्षित किये गये। शेष राशि भूतपूर्व सैनिकों के हित के लिये भर्ती संख्या के अनुपात में विभिन्न राज्यों में बांटी गई। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३८**]

(ग) नवीनतम जानकारी उपलब्ध नहीं है, किन्तु जहां जहां से मिल सकी है वहां वहां के व्यय तथा अवशिष्ट धन के ब्योरे भाग (ख) में उल्लिखित विवरण में समाविष्ट हैं।

(घ) राज्य सरकारों से वार्षिक प्रतिवेदन मांगे गये हैं।

Monday 07, July, 1952

अंक ३

संख्या १

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha (First Session)

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

हिन्दी संस्करण

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सची

समिति के निर्वाचिन—

केन्द्रीय पुरातत्व परामर्शदात्री पर्षद् [पृष्ठ भाग २४२७]

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् [पृष्ठ भाग २४२७—२४२८]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८—२४२९]

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् [पृष्ठ भाग २४२९—२४३०]

विनियोग (रेलवेज) संख्या २ विधेयक—पारित [पृष्ठ भाग २४३०—२४३५]

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित [पृष्ठभाग २४३५—२४७७]

सारभूत वस्तुयें (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक—प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर चर्चा असमाप्त [पृष्ठ भाग २४७७—२४९२]

(मूल्य ६ आने)

391 PSD

लोक सभा

सोमवार, ७ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-२० म० पू०

भाषावार राज्यों सम्बन्धी संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब संकल्पों पर विचार करेगा । मैं घोषणा करना चाहता हूं कि इस संकल्प का प्रस्तावक तथा सम्बन्धित माननीय मंत्री ३०, ३० मिनटों तक अथवा उस से अधिक उतने समय के लिये जितने की कि सभापति अनुमति दे देंगे, बोल सकते हैं, जब कि दूसरे सदस्यों को पन्द्रह पन्द्रह मिनट से अधिक समय के लिये नहीं बोलना चाहिये।

मैं अब श्री तुषार चटर्जी को अपना संकल्प प्रस्तुत करने के लिये निवेदन करूंगा।

श्री तुषार चटर्जी (श्री रामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "इस सदन की राय में राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्वितरित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही

> की जाये तथा वर्तमान राज्यों की सीमायें तदनुसार पुनर्निर्धारित की जायें।"

भाषावार प्रान्तों के बनाने का प्रश्न एक पुराना प्रश्न है। इस प्रश्न ने चिरकाल से लोगों के दिलों में घर कर लिया है तथा मेरा विश्वास है कि देश के लगभग सभी राजनतिक दल अधिकांश रूप से इसके पक्ष में हैं। स्वयं कांग्रेस इसे सिद्धान्ततः स्वीकार कर चुकी है, यद्यपि वह इसे कुछ समय के लिये कार्यरूप नहीं देना चाहती है। मैं निवेदन करता हूं कि न केवल सिद्धान्त के लिये अपितु देश की भलाई तथा जनता की परम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी भाषावार प्रान्तों के निर्माण का कार्य बिना किसी विलम्ब के हाथ में लिया जाना चाहिये ।

वर्तमान प्रान्त अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को दृष्टि में रखते हुए बनाये थे । उनकी सदैव 'विभाजन करो और शासन करो' नीति रही। वह कभी यह नहीं चाहते थे कि जनता में एकता हो । इसलिये उन्होंने वर्तमान प्रान्तों की नीव डाली। जनता की स्वाभाविक एकता को भंग करने तथा प्रशासन को अपने चंगुल में फंसाये रखने के उद्देश्य से ऐसा किया गया तथा हम जानते हैं कि सामन्तशाही, जमींदारी तथा राजप्रमुखों के शासन जैसी शोषणकारी प्रणालियां उनकी इसी नीति पर पनप रही थीं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपनी

[श्री तुषार चटर्जी]

जनता को शीघ्र ही इस प्रणाली से मुक्त करें। कहा जाता है कि भाषावार प्रान्तों के निर्माण से देश में उथल पुथल मच जायेगा, तथा एकता भंग हो जायेगी। किन्तु मैं निवेदन करता हूं कि यदि हम देश की वास्तविक एकता चाहते हैं तो यह लोकप्रिय एकता पर ही आधारित हो सकती है जो कि भाषावार प्रान्त बनाने से प्राप्त हो सकती है।

इस सम्बन्ध में हमें एक और भी बात ध्यान में रखनी चाहिये। देश के पुनर्निर्माण के लिये लोक उत्साह का होना एक आवश्यक बात है। यह उत्साह पैदा करने के लिये भी भाषावार प्रान्त बनाना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि इस तरह से एक ही भाषा बोलने वाले लोग अपने क्षेत्र के लिये एक दूसरे के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करने के लिये प्रेरित होंगे।

प्रशासकीय कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिये भी भाषावार प्रान्तों का निर्माण हितकर प्रतीत होता है। इस तरह से जनता तथा प्रशासन में वास्तविक सहयोग की भावना उत्पन्न हो सकती है। अंग्रेजों को इस प्रकार के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनकी कार्यक्षमता नौकरशाही पर निर्भर थी।

संक्षेप में यह कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्निर्माण इस समय की एक ऐतिहासिक मांग है। हर तरफ से इस सम्बन्ध में जोरदार मांगें की जा रही हैं। आन्ध्र निवासी 'विशाल आन्ध्र' के निर्माण के लिये अभूत पूर्व उत्साह तथा दृढ़ता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह बंगला भाषी जनता भी बंगाल राज्य की वर्तमान सीमाओं में हेर फेर कराना चाहती है जिससे कि वह संगठित हों। इतना ही नहीं, इस सम्बन्ध में देश में काफी हद तक मतक्य भी है। तो देश के सर्वाङ्गपूर्ण पुनर्निर्माण के लिये भाषा के आधार पर राज्य बनाना एक आवश्यकता है जो कि पूरी की जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन में संकल्प प्रस्तुत करने के पश्चात माननीय सदस्यों को अपने संशोधन पेश करने के लिये कहूंगा। संकल्प तथा संशोधनों पर चर्चा साथ साथ चलेगी।

इस संकल्प के सम्बन्ध में २० संशोधन पेश किये गये हैं। आदेश-पत्र में माननीय सदस्यों के नाम दिये जाने के कारण मुझे उन का नाम पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हो वह, यदि अपने स्थान पर होगा कृपया 'जी हां' कहे, तथा यदि कोई सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत न करना चाहता हो तो वह मुझे इस आशय की सूचना दे।

श्री गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल संकल्प के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाय :

> "This House is of opinion that necessary action should be taken immediately to regroup the existing States in South India on sound economic and linguistic principles and an impartial Boundary Commission should be established consisting of Ministers, members of the legislatures and

officials to re-draw the boundaries accordingly."

'इस सदन की राय में दक्षिणी भारत के वर्तमान राज्यों के आर्थिक तथा भाषा सम्बन्धी सिद्धान्तों पर आधारित वर्गीकरण के लिये शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा तदनुसार सीमाएं पुन: निर्धारित करने के लिये मन्त्रियों, विधान मंडलों के सदस्यों तथा अधिकारियों पर बना एक निष्पक्ष सीमा निर्धारण आयोग स्थापित किया जाये "]

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'linguistic basis' (भाषा सम्बन्धी आधार) शब्दों के पश्चात् आने वाले सभी शब्दों के लिये निम्नलिखित आदिष्ट किया जाये :

"and that to begin with Hyderabad state should be disintegrated into three parts, namely Karnatak, Andhra and Maharashtra and the boundaries of the proposed linguistic provinces in general should be readjusted in accordance with the majority of the opinion as exercised by votes on adult franchise in the respective areas."

["तथा यह कार्य हैदराबाद राज्य को तीन भागों, अर्थात् कर्नाटक, आन्ध्र तथा महाराष्ट्र, में बांटने से शुरु किया जाये और प्रस्थापित भाषावार प्रान्तों की सीमाएं अलग अलग क्षेत्र में वयस्क मताधिकार के आधार पर लिये गए मतों के अनुसार पुनर्निर्धारित की जायें।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"and that the boundaries of the existing States be readjusted accordingly" ["तथा वर्तमान राज्यों की सीमाएं तदनुसार पुनर्निर्धारित की जायं"] के शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द आदिष्ट किये जायें :

" and that a Commission be appointed forthwith to take up the question of rectification of boundaries in the provinces of Northern India."

["तथा तुरन्त ही एक आयोग नियुक्त किया जाये जो उत्तरी भारत के प्रान्तों की सीमाओं के परिशोधन के प्रश्न पर विचार करे।"]

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

संकल्प के अन्त में यह शब्द जोड़ दिये जायें :

" keeping in view administrative convenience, economic viability and geographical contiguity."

["प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा भौगोलिक सामीप्य को दृष्टि में रखते हुए "]

श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांडी बोलनगिर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

संकल्प के अन्त में यह जोड़ दिये जायें :

"and that in view of the changed circumstances arising out of the merger of Mayurbhanj in Orissa and consequent geographical contiguity, seraikella and Kharswan be immediately restored to Orissa in accordance with the terms of the merger agreements."

["और मयूरभंज के उड़ीसा में विलीन होने के परिणामस्वरूप बदली हुई परिस्थिति तथा भौगोलिक सामीप्य को दृष्टि रखते हुए सरायकेला तथा खरसवान के क्षेत्र, संविलय करारों की शर्तों के अनुसार शीघ्र ही उड़ीसा को वापिस कर दिये जायें।"]

[इन संशोधनों के अतिरिक्त श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर), श्री के० सुब्रह्मण्यम् (विजियानगरम्), श्री वी० जी० देशपांडे (गुना), श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) तथा श्री वैलायुधन (क्विलोन एवं मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) ने भी अन्य संशोधन प्रस्तुत किये।]

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया संकल्प एक ऐसे विषय से सम्बन्ध रखता है जिस पर कि काफी भावुकता से तथा पक्षपात से चर्चा की जा सकती है। किन्तु मैं दो कारणों से इस तरह से न बोलने का प्रयत्न करूंगा। एक कारण तो यह है कि यह प्रश्न पहिली बार औपचारिक रूप से संसद् के सामने आया है, दुसरे मैं यह चाहता हूं कि इस सदन के नेता अपने उत्तर में सम्मानपूर्वक तथा स्थाई रूप से इस प्रश्न का निवारण करें।

यह एक जटिल समस्या है। हम देखते हैं कि हम कभी कभी क्षेत्रीय तथा जातीय निष्ठा की भावना में किस तरह बह जाते हैं। मेरा विचार है कि जब तक कि हम उचित रूप से इन समस्याओं को हल न करें, तब तक देश के अन्दर कभी भी शान्ति नहीं रह सकती है।

क्षेत्रीय तथा जातीय निष्ठा की भावना के जाग्रत होने का कुछ कारण भी है। हमारे यहां काफी शोषण भी होता है, एक वर्ग का दूसरे वर्ग द्वारा तथा एक क्षत्र का दूसरे क्षेत्र द्वारा। इतना ही नहीं आप आज मद्रास अथवा बम्बई की विधान सभा में जाइये, वहां आप को बहुत से ऐसे सदस्य देखने में आयेंगे जो एक दूसरे की भाषा को समझने ही न पाते हों।

मेरा विश्वास है कि यह देश कुछ निश्चित क्षेत्रों के उन लोगों की मनोकांक्षा को पूरा नहीं कर सका है जो कि अपनी प्रतिभा के अनुकूल अपना भाग्य बनाने के लिये अवसर चाहते हैं। उदाहरण के रूप में गोदावरी तथा कृष्णा जिन क्षेत्रों में से हो के बहती हैं वहां आन्ध्रों का निवास स्थान होना चाहिये। इसी तरह से दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट केरल वासियों के अधिकार में होना चाहिये। इसी तरह दक्षिण समस्थल पर महाराष्ट्र वासियों का अधिकार होना चाहिये। और मैसूर संयुक्त कर्नाटक का अंग बनना चाहिये।

मेरा विश्वास है कि यदि भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण होता तो न आज द्राविड खज़ागम दक्षिणी भारत को शेष भारत से अलग करने की सोचता, न उत्तर भारत में खालिस्तान की मांग की जाती और न ही दक्षिण भारत में कम्यूनिस्टों का भय रहता। यदि महाराष्ट्र तथा कन्नड देश का निर्माण किया जाता तो देश प्रशासकीय तथा राजनैतिक रूप से अधिक स्थिर तथा दृढ़ हो जाता। सीमा सम्बन्धी झगड़ों का सीमा निर्धारण आयोग द्वारा आसानी से निपटारा किया जा सकता है।

आन्ध्र प्रान्त के निर्माण से सम्बन्धित तथ्यों तथा आंकड़ों पर मुझे प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा विश्वास है कि दर समिति की रिपोर्ट में तथा जे० वी० पी० रिपोर्ट में इस बारे में काफी मसाला एकत्रित किया गया है। इस सदन के नेता आज भी आंध्र प्रान्त के निर्माण के लिये तैयार हैं किन्तु शर्त यह है कि सम्बन्धित पक्षों में सम्पूर्ण छोटे मोटे भेदभाव मिट जायें। यदि वर्तमान मद्रास राज्य के बारह आंध्र ज़िलों को ही लिया जाये तो यह आसानी से एक आत्म-निर्भर राज्य बन सकता है जिसकी जन संख्या २ करोड़ तथा वार्षिक राजस्व ३० करोड़ रुपये हो सकता है। जहां तक उड़ीसा, मध्य प्रदेश मद्रास तथा मैसूर में तेलुगू भाषी विवादस्पद क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उनका निपटारा सीमा आयोग द्वारा किया जा सकता है।

जहां तक मद्रास नगर का सम्बन्ध है जे० वी० पी० रिपोर्ट में कहा गया है कि आंध्र प्रांत के पक्षपातियों को इस पर अपना दावा न करना चाहिये। यह सचमुच एक दुःस्थिति है। आंध्रों को मद्रास नगर छोड़ने के लिये कहा जा रहा है। किन्तु यह नहीं बताया जा रहा है कि इस नगर की स्थिति क्या रहेगी तथा इसे किस राज्य में शामिल किया जायेग? रिपोर्ट के प्रकाशित होने के पश्चात् डा० पट्टाभि सीतारामैय्या ने कई अवसरों पर बोलते हुए कहा है कि यदि आंध्रों से मद्रास नगर पर अपना दावा न करने के लिये कहा जा रहा है तो इस का यह आशय नहीं कि यह तामिलनाद में जायगा तथा वह इसे स्थायी तौर पर खो बैठेंगे।

कुछ भी हो हमें यह निश्चित रूप नहीं बता दिया जाता है कि मद्रास नगर का क्या होने जा रहा है। वचन दिये जाते हैं तथा वचन बदल भी दिये जाते हैं। यह समस्या त्रिशंकु महाराज की तरह लटक रही है। इस सम्बन्ध में काफी बात चीत तथा पत्र व्यवहार भी हुआ है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न को सदैव के लिये हल किया जाय। एक आंध्रवासी के नाते मैं कभी भी मद्रास को छोड़ने के लिये तयार नहीं हूं, किन्तु एक भारतीय के नाते मैं चाहता हूं कि यह सभी द्विभाषी अथवा बहुभाषी नगर चाहे यह मद्रास हो, बंगलोर हो, हैदराबाद हो या बम्बई हो, केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में बदल दिये जायें। मैं जिम्मेदारी के साथ ऐसा कर रहा हूं। यदि भारत सरकार की इस विशाल प्रशासकीय व्यवस्था का विकेन्द्रीयकरण करके इसे विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया जाये तो देश का भविष्य स्थिर तथा सुरक्षित रह सकता है। इस तरह से सेवाओं में भी सभी क्षेत्रों को अपना उचित भाग मिल सकता है। लोगों को शिकायत है कि उत्तर प्रदेश भारत सरकार पर छाये हुए है। दिल्ली में १८ वर्ष रह कर मैं ने देखा है कि शक्ति कुछेक व्यक्तियों अथवा वर्गों के हाथ में केन्द्रित है।

[डा० कुंजरू]

आन्ध्र देश के सम्बन्ध में तीन छोटी छोटी तथा अवशिष्ट बातें हैं जिन पर कि मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। एक तो मद्रास नगर का प्रश्न है। कोई भी आंध्र निवासी इस पर से अपना दावा नहीं हटा सकता है। इसे केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र बनाया जाना चाहिए जो कि मेरे विचार में सभी आन्ध्र वासियों को मंजूर होगा। दूसरी बात हैदराबाद को तीन भागों में विभक्त करने की है। सभी आन्ध्र वाले, महाराष्ट्र वाले तथा कन्नड भाषी इस के पक्ष में हैं। तीसरी बात रायलासीमा से सम्बन्ध रखती है। बताया जाता है कि रायलासीमा आन्ध्र प्रान्त में रहना पसन्द नहीं करेगा। १९३७ में आन्ध्र के सभी प्रमुख नेताओं में एक समझौता हुआ था, इस में यह बात मान ली गई थी कि दस वर्ष के लिए सिंचाई के सभी निर्माण-कार्य रायलासीमा में शुरू किये जायेंगे। मेरा विचार है कि यदि रायलासीमा वाले हमारे साथ सहयोग करना चाहते हों तो अधिक से अधिक सद्भावना उत्पन्न हो सकती है। परन्तु यदि वह तामिलनाद में रहना चाहते हों तो इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जायगी। रायलासीमा में प्रतिवर्ष चार करोड़ रुपये का घाटा रहता है जो तटीय जिलों के राजस्व से पूरा किया जाता है। आन्ध्र के बारह ज़िलों का अतिरिक्त राजस्व रायलासीमा के घाटे वाले क्षेत्रों पर लगाया जाता है। यदि वहां की जनता सन्तुष्ट नहीं तो वह हम से अलग रह सकती है। मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आन्ध्र प्रान्त के प्रश्न का निपटारा किया जाये तो इस से देश का स्वस्थ आर्थिक तथा प्रशासकीय पुनः निर्माण होगा।

श्री शिवमूर्ति स्वामी: उपाध्यक्ष महोदय कब्ल उसके कि मैं अपना भोषण आरम्भ करूं, मैं अपना अमेंडमेन्ट पेश करना चाहता हूं।

संशोधन प्रस्तुत किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष की दो सौ साल से यह मांग रही कि अगर हमें अपने भारतवर्ष को कल्चरल यूनिटी (सांस्कृतिक एकता) में लाना है तो उस को तुरन्त भाषावार प्रांतों में तकसीम किया जाए। चुनांचे जब हम ने अंग्रेजों के खिलाफ़ मुहिम शुरू की उस वक्त भी हमारे नेताओं का ध्यान इसी ओर रहा और उन्होंने यह कह कर ही हमारा मार्गदर्शन किया कि जब हम हुकूमत हासिल करेंगे तो फौरन ही भारतवर्ष को भाषावार प्रांतों में तकसीम किया जायगा। चुनांचे जो हमारे इस हाऊस के मुअज्जिज़ नेता हैं पंडित जी, १९२८ ई० की उनकी रिपोर्ट से भी ऐसा ही वाज़ेह होता है। उसके बाद आज़ादी हासिल हो गई, लेकिन हम को अफसोस है कि हमारी हूकुमत के सामने बहुत मुश्किलात पेश आई और यह काम न हो सका। आज यह वक्त आया है कि हमें इस संसद् में लिंगविस्टिक प्राविन्सेज (भाषावार प्रान्तों) के बारे में सोचने का मौका मिला है। आज हर प्रांत से, मद्रास, बम्बई सभी जगहों से लोगों की यही आवाज है। हमारे माननीय पंडित जी के पास कर्नाटक की तरफ से दातार साहब और उनके हमराह १८ और लोग, जो इस हाऊस के नुमाइन्दे हैं, और कांग्रेस पार्टी के नुमाइन्दे भी हैं, गये और कर्नाटक के लोगों की सही नुमाइन्दगी की। वहां के नेता श्री निजलिंगप्पा भी इस बात को आपके ध्यान में लाने के लिए याद दिलाते रहे, इसके अलावा जब आप ने बंगलौर में कांग्रेस का सेशन किया उस

वक्त भी आप की पार्टी की यही आवाज रही कि हम प्रान्त को भाषाभाषियों के ही हाथ में दे देंगे । कर्नाटक प्रान्त के तक़रीबन बीस लोकसभा के नुमाइन्दे होते हैं, और जनसंख्या तक़रीबन दो करोड़ या उस से भी ज्यादा है । इस फैसले की तकमील करने के लिए हमारा पहला क़दम यह होना चाहिए कि हैदराबाद का डिसइन्टेग्रेशन (विघटन) किया जाय । जब तक हैदराबाद का डिसइन्टेग्रेशन नहीं किया जायेगा उस वक्त तक हैदराबाद के मामले और हैदराबाद के प्रश्न को सुलझा नहीं सकेंगे ।

मैं दावे के साथ कहता हूं कि हैदराबाद के लोग शान्तिवादी थे लेकिन वहां के चन्द हिंसात्मक लोगों ने इस चीज को आधार बना कर आन्दोलन खड़ा कर दिया है । वह पूरे हैदराबाद को हिंसात्मक मार्ग पर चलान की कोशिश करते हैं । इस बात को देखते हुए इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए । हैदराबाद में अगर इस एलिमेन्ट (तत्व) को निउट्रलाइज (अप्रभारी) करना है तो फ़ौरन ही हैदराबाद को डिसइन्टग्रेट करना होगा । हैदराबाद में आज पूरे तीन हिस्से हैं : कर्नाटक, आन्ध्र और महाराष्ट्र । वहां के लोग इस बात को डिसाइड (फ़ैसला) करने के लिए जो क़दम उठाते हैं उससे भी आपको साफ़ साफ़ जाहिर होगा कि वहां के हर एक लोग यही चाहते हैं कि डिसइन्टेग्रेशन हो जाय और प्रान्तों की भाषावार तक़सीम अमल में लाई जाय । मैं जानता हूं कि कांग्रेस ने बहुत पहले इस उसूल को क़बूल कर लिया है और पंडित जी भी इस बात को जानते हैं कि हैदराबाद की जनता इसके लिए रजामन्द है । राष्ट्रपति जी से भी मेरी बात उन के भवन में हुई । इस से मालूम होता है कि वह भी फ़ेवरेबल (पक्ष में) हैं । मैं जानता हूं कि सरकार के रास्ते में मुश्किलात हैं, लेकिन जब तक आप इन मुश्किलात को हल करने के लिए क़दम नहीं उठायेंगे तब तक आप का काम नहीं चलेगा । जिस क़दर आप देर करेंगे उसी क़दर लोगों की परेशानियां बढ़ती जायेंगी । और एक दिन ऐसा आयेगा कि आप की पार्टी के लोग जो आज पार्टी के नुक्ते-नज़र से और पालिसी की तहत ऐमेन्डमेंट नहीं पेश कर रहें हैं, या पेश करने म हिचकिचा रहे हैं जब जनता को यह मालूम हो जायगा कि अब कांग्रेस पार्टी-इन-पावर (सत्तधारी दल) भाषावार प्रांत बनाने के लिए तैयार नहीं है तो वह आप के रास्ते में दिक्कतें डालेंगे । लिहाज़ा जरूरी है कि फौरन ही आप इस बारे क़दम आगे बढ़ाइये । इस से आप का भी हित है और मैं हैदराबाद का भी । अगर आप चाहते हैं कि हैदराबाद में हिंसाबाद खत्म हो और अहिंसाबाद के पुजारियों को सहायता करना चाहते हों तो क़दम उठाइय । मैं जानता हूंकि आप को हैदराबाद के राजप्रमुख को निकालने में इन्टर्नेशनल (अन्तर्राष्ट्रीय) दिक्कतें होंगी, लेकिन मैं कोइ कम्यूनल (साम्प्रदायिक) या प्राविन्शलिज्म (प्रान्तीयता) की बात नहीं कह रहा हूं । मेरा यह दावा है कि अंग्रेज़ों न फौज के बल पर हुकूमत नहीं की, उन्होंने हुकूमत इस लिए की कि हिन्दुस्तान के एक तिहाई हिस्से को नरेन्द्रों के हाथ में दे कर तक़सीम कर दिया, और यहां के जो प्रांत थे या स्टेट्स थीं उन को होमोजीनिअस (सजातीय) नहीं बनने दिया बल्कि उन्हें हेट्रोजीनिअस (विभिन्न जातीय) बना कर हैदराबाद के अन्दर कर्नाटक और कर्नाटक में आन्ध्र और महाराष्ट्र को मिला कर डिवाइड एंड रूल (फूट डालो और राज करो) की पालिसी से हुकूमत करते रहे। अगर हम को हैदरा-

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

बाद के लोगों की दिक्कत को दूर करना है, अगर हमें पुरअमन तरीक़े से जम्हूरी उसूलों को भारत वर्ष में बढ़ाना है तो आप इस बात पर गौर कीजिये और गौर करने के बाद वहां की आम जनता की जो आम-फहम भाषा है उस के आधार पर इस हिस्से को तक़सीम कीजिये।

मैं समझता हूं कि इतना आसान प्रश्न रहते हुए भी हम उसको समझने से क़ासिर रहे हैं। इसलिए मैं खास तौर से पंडित जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस के लिए आप ही ने हम को वचन दिया था और आज़ादी से क़ब्ल हर नेता की जबान पर यह लफ़्ज था और हर नेता की यह आवाज थी कि हमारे देश को भाषावार दृष्टि से तक़सीम करना होगा। लिहाजा जो मैं मांग कर रहा हूं उसके पीछे एक नैचुरल सेंक्टिटी (स्वभाविक पवित्रता) है। मैं यह जानता हूं कि मैं सब से पहले भारतीय हूं, बल्कि उस से भी पहले मैं सारे संसार का हूं, उस के बाद भारतीय संघ का हूं और उसके बाद में प्रांत 'कर्नाटक' का हूं। मेरे लिए ऐसा सोचना स्वभाविक है, यह मेरा स्वाभाविक गुण है। यह ख्याल हम से दूर नहीं रहता। लेकिन अगर आप को इस काम में मुश्किलात आती हैं तो आप कमीशन बिठाइये। जो डिस्प्यूटेड एरियाज (विवादग्रस्त क्षेत्र) हैं और जिन के बारे में मुश्किलात हैं उन के सवालों को हल कीजिये और वहां के लोगों से दरियाफ्त कीजिये कि वह कर्नाटक में रहना चाहते हैं या आंध्र प्रान्त में रहना चाहते हैं या महाराष्ट्र में रहना चाहते हैं और जिस तरफ़ उन का झुकाव हो उस तरफ़ उन को रख कर इस प्रश्न का ऐमीकेबिल सेटिलमेंट (मैत्रीपूर्ण समझौता) आसानी से हो सकता है। आप स प्रश्न को निष्पक्षता से देखें और खास तौर से दक्षिण भारत की सिचुएशन (स्थिति) को आप देखें। मुझे प्रसन्नता है कि दक्षिण के सिवा हिन्दुस्तान के और किसी हिस्से में हिंसात्मक और डिमाक्रेसी के विरुद्ध पार्टीज़ नहीं बन रही हैं। उन की वजह से बहुत से मसायल वहां दक्षिण में पदा हो गये हैं और उन को समझने में आप पिछड़ रहे हैं। उन मसायल पर आप को गौर करना चाहिये और लोगों के दिल में जो जोश और वलवले हैं और जो उन की फ़ितरती मांग है उस पर आप को गौर करना चाहिये। अगर आप इस प्रश्न पर फ़ौरन गौर करें और इस के लिय कदम उठायें और इस पांच साल के दौरान में ही इस पर अमल करें तो निहायत ही अच्छा होगा। बहुत दिनों से वचन आप ने दे रखा ह उस को आप इस तरह पूरा करें। लिहाज़ा मैं एक बार फिर आप का ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं। हम तो चाहते ह कि हर तरफ़ जम्हूरी हुकूमत फैले, लेकिन अगर उस हुकूमत के अफ़सर ऐसे हों जो कि जनता की भाषा न समझते हों तो हम एसी हुकूमत का क्या करें: इसलिये आप हदराबाद को डिसइंटेग्रेट कीजिये। हां अगर आप हदराबाद के निज़ाम ही को हमारा राजप्रमुख बनाना चाहते हैं और मैसूर के महाराजा को नहीं बनाना चाहते तो ऐसा ही कीजिये लेकिन हमारा प्रान्त तो अलग कीजिये। जम्हूरियत के नाम से हमारी यह भावना नहीं दबाई जा सकती; न यह हो सकता ह कि हम माइनारिटी (अल्पसंख्यकों) पर कोई शासन करें। मैं चाहता हूं कि हम को प्रान्तीयता की तरफ़ बढ़ना भी चाहिये और उसको खत्म भी करना चाहिये। खत्म इस माने में करना चाहिये कि जो यह हैटरोजीनस (विभिन्न जातीय) प्रान्त हैं उन में जो खराबियां हैं उन को दूर करना चाहिये। हम

अपने भारतवर्ष में एक अखंड संस्कृति को कायम करना चाहते हैं और हमेशा के लिये उसे कायम करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज है। हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज है कि हम देश की पूरी सेवा करें और दुनिया की शान्ति बनाये रखने के लिये जो कुछ हम कर सकते हैं करें। मैं फिर पंडित जी से अर्ज करता हूं कि यह एक आला मौक़ा है, इसको न छोड़िये और इस मौक़े पर इस उसूल को मान कर फ़ौरन क़दम उठाइये। आप इस काम को एक कमीशन के तवस्सुत से कीजिये। लोगों को अब भी आप पर बहुत भरोसा है। मैं फ़ख्र के साथ यह कहता हूं कि कर्नाटक से कोई ऐसा व्यक्ति, नुमायन्दा होकर यहां नहीं आया है जो कि हिंसावादी हो। या तो कांग्रेस वाले हैं और या इंडिपेंडेंट्स (निर्दलीय) हैं जो कि अधिकतर कांग्रेस के प्रिंसिपल्स (सिद्धान्तों) से सहमत हैं परन्तु कुछ व्यक्तिगत कारणों से अलग हो गये हैं। कर्नाटक गांधी जी का प्रान्त कहा जा सकता है। इस को भी इस समय स्थानिक स्वराज्य मिलना चाहिये। इसलिये मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि आप हैदराबाद प्रान्त को डिसइन्टेग्रेट करें। मैं कर्नाटक प्रान्त को फ़ौरन अलग बनाने के प्रस्ताव को ताईद करता हूं।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) श्रीमान् मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आप ने मुझ इस महत्वपूर्ण समस्या पर बोलने का अवसर दिया है। मैं यह आभास नहीं दिलाना चाहता हूं कि केवल विरोधी दल के ही सदस्य आन्ध्र प्रान्त के निर्माण में दिलचस्पी रखते हैं। इस विषय के सम्बन्ध में जनता की भावना बड़ी उग्र तथा विस्तृत है। स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ साथ ही इस समस्या का भी प्रादुर्भाव हुआ। आन्ध्र प्रान्त के लिये जो मांग की जा रही है उसका कारण केवल यह नहीं कि वह एक ही भाषा बोलते हैं। इसके और भी कारण हैं। आन्ध्रवासी यह बुरी तरह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें प्रशासकीय व्यवस्था तथा विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में पछाड़ दिया गया है। अभी हाल ही में मद्रास के एक मंत्री ने घोषणा की है कि कृष्णापेन्नार परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी। इस परियोजना का प्रयोजन कृष्णा नदी के जल को इसके बहने के क्षेत्र से दूसरी तरफ दूर ले जाना है। इस तरह की घोषणाओं तथा कार्यवाहियों ने ही आन्ध्रवासियों को एक अलग प्रान्त की मांग करने के लिये विवश किया है। आन्ध्रवासी चाहते हैं कि कृष्णा-पेन्नार परियोजना के स्थान पर नन्दीकोंडा परियोजना को क्रियान्वित किया जाये, क्योंकि ऐसा करने से कृष्णा नदी के जल का अधिक भाग आन्ध्र क्षेत्र में ही उपयोग में लाया जा सकता है। भारत सरकार ने आन्ध्रों की इस मांग को दृष्टि में रखते हुए एक निष्पक्ष टैक्नीकल समिति नियुक्त की है जो इस प्रश्न की जांच करेगी कि कृष्णापेन्नार तथा नन्दीकोंडा में से कौन सी परियोजना अधिक उपयोगी हो सकती है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि आन्ध्रों की मांग की पृष्ठ पर न केवल उनकी भाषा है अपितु और भी कई कारण हैं। सारे आन्ध्रवासी इस प्रश्न पर एक हैं तथा हमें प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने भी यह मांग मान ली है। हमें बताया जाता है कि कांग्रेसी आन्ध्र की मांग के सम्बन्ध में अपने वचन से फिर गए हैं क्योंकि उन्हें भय है कि यदि यह प्रान्त बनाया गया तो इस पर कम्युनिस्टों का राज होगा। वास्तव में यह बात नहीं। हम प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं तथा यदि जनता द्वारा उचित रूप से चुने गए प्रतिनिधि

[श्री रघुरामय्या]

कहीं भी अपनी सरकार बनाना चाहते हों तो हम उनके मार्ग में कण्टक नहीं बनेंगे। आशंका केवल यह है कि आन्ध्र देश को कहीं रूस का एक सप्रान्त न बनाया जाये तथा इसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक केलिवाड़ का एक अड्डा न बनाये।

जहां तक मद्रास नगर का सम्बन्ध है कोई भी आन्ध्र वासी इस पर से अपना दावा हटा नहीं सकता ह जैसे कि श्री प्रकाशम ने पहले तथा श्री लंकासुन्दरम ने अभी स्पष्ट किया है। यह दूसरी बात है कि हमारे कम्युनिस्ट भाई मद्रास नगर के बिना ही आन्ध्र राज्य बनाने के लिए तैयार हैं। रायलासीमा के सम्बन्ध में मेरी यह धारना नहीं कि वहां का बहुमत आन्ध्र के साथ न रहने के पक्ष में है। किन्तु इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि वहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। हमें उन्हें सन्तुष्ट करना होगा। इसी तरह से हमें तामिल भाषी तथा कन्नड भाषी लोगों को भी सन्तुष्ट करना होगा। मैं आन्ध्र भाइयों से अपील करता हूं कि वह इकट्ठे बैठ के इन गुत्थियों को सुलझायें अथवा सुलझाने का प्रयत्न करें। भान्ति भान्ति की बोलियां बोलने से हमारी मांग—यद्यपि यह हमारे जीवन मरण से सम्बन्ध रखती है—पूरी नहीं हो सकती है। केवल संगठित प्रयत्न से ही हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मैं विरोधी दल के सदस्यों से भी अपील करता हूं कि वह भी इस पर ध्यान दें तथा एक स्वीकार्य मांग पेश करें जिस से कि केन्द्रीय सरकार के लिए भी अपना वचन पूरा कहना आसान हो जाय।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर): उपवाचस्पति जी, यद्यपि मैं इस भाषावार प्रान्त का समर्थक हूं मगर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सब से पहिले हिन्दू या भारतीय हूं और उस के बाद महाराष्ट्री हूं। मेरे दिल में कभी भी केन्द्रीय सरकार से अलग होने का विचार नहीं आया। मेरी भावना है कि इस देश में बहुत जल्द एक सत्तावान और सामर्थ्यवान केन्द्रीय सरकार होनी चाहिये। मैं इस वास्ते भी इस बात का समर्थक हूं कि लोकशाही और डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) को अगर बलवान बनाना ही है तो फिर इस बात की जरूरत है कि हर एक देश और हर एक प्रान्त की मातृभाषा में उस की शिक्षा होनी चाहिये, उस का कारोबार होना चाहिये। इस के बिना सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक तौर पर वह राज्य प्रगति और विकास नहीं कर सकता है।

दूसरी बात मेरी समझ में यह नहीं आती है कि इस सवाल से घबरा जाने की क्या जरूरत है। हम देखते हैं कि हमारे कांग्रेस राज्य कर्त्ता बहुत घबराये हुए हैं और वह इस का हौव्वा बनाना चाहते हैं। अगर किसी ने इस बारे में कभी कुछ बोल दिया तो वह अपनी नाक भौंह सिकोड़ लेते हैं। यह बात हमारी समझ में अभी तक नहीं आई है। बात तो यह है कि स्वयं कांग्रेस को संस्था ने इस सवाल का समर्थन किया था और जहां तक मेरा ख्याल है क़रीब ३० और ३५ वर्ष हो गये उन्होंने इस बारे में एक प्रस्ताव भी पास किया था। मैं भी कांग्रेस का पुराना पापी हूं इसलिये मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं। उन्होंने उस समय यह बचन दिया था कि जब कांग्रेस के हाथों में शासन आ जायेगा तो हम यानी कांग्रेस भाषावार प्रान्त बनायेगी। लेकिन उन्होंने अभी तक इस बचन का पालन नहीं किया जब कि उन के हाथ में सत्ता आये हुए ६ साल से

ज्यादा हो गये हैं। जब एक संस्था अपने प्रस्ताव को और अपने बचनों को अमल में नहीं लाती है तो इस बात से उस संस्था की अप्रमाणिकता मालूम हो जाती है।

तीसरी बात यह है कि विन्ध्य पर्वत के उत्तर में जो प्रान्त है वह सब भाषावार प्रान्त बने हुए हैं। उदाहरण के लिये आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पंजाब और राजस्थान यह सब भाषावार प्रान्त हैं। विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में जितने भी प्रान्त हैं वहां पर तमाम भाषाओं की खिचड़ी बनी हुई है। मध्य प्रदेश में हिन्दी और मराठी का झगड़ा है। इसी तरह से आज हम देखते हैं कि बम्बई में, मराठी कर्नाटकी और गुजराती का झगड़ा चल रहा है। मद्रास में तामिल, तैलगू और कन्नड़ आदि भाषाओं का झगड़ा चल रहा है। इस लिये यह बात स्वाभाविक है कि दक्षिण वालों के दिल में रंज पैदा हो। हमारे उत्तरी भाग के जो प्रान्त हैं वह भाषावार प्रान्त होने की वजह से, सुख या दुख जो कुछ भी हो उस का वह अनुभव करते हैं। मगर इसी सुख या दुख के अनुभव से, दक्षिण वालों को वंचित किया जाता है। अगर वह लोग किसी प्रकार के भाषावार प्रान्त बनाने की बात सोचते हैं या कहते हैं तो इस का दोष उन लोगों पर नहीं है। जब वह दूसरों को उसका अनुभव और सुख या दुख उठाते देखते हैं तो उनके दिल में भी इसी तरह के ख्याल होते हैं।

हमारी सरकार कहती है कि हम भाषावार प्रान्त बनाने के हक में हैं मगर हम से कहा जाता है कि कोई एग्रीड सोल्यूशन (माना हुआ हल) हो तो हम तैयार हैं। वह जानते हैं कि किसी प्रकार का एग्रीड सोल्यूशन नहीं हो सकता है इसलिये वह इस तरह की बातें सामने रखते हैं दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है कि किसी बात पर सब तरह की बातों में सब लोग अच्छी तरह से एग्री (मान) हो जायें। मैं धन्यवाद देता हूं राज्यकर्ताओं को कि उन के गुरू ब्रिटिश वालों के वह इतने जल्द योग्य चेले हो गये हैं। जिस तरह से ब्रिटिश हमारी स्वराज्य की मांग के बारे में कहा करते थे कि कोई एग्रीड सोल्यूशन सामने लाओ तो हम भारत को छोड़ देंगे उसी तरह से आज राज्यकर्ता भाषावार प्रान्तों के मामले में कह रहे हैं। मैं पूछता हूं कि यह एग्रीड सोल्यूशन कभी हो सकता है? पाकिस्तान की मांग जो मंजूर कर ली गई क्या कभी भी वह एग्री हो कर की गई थी? कांग्रेस वालों ने ब्रिटिश सरकार से हाथ मिला कर एग्रीमेन्ट (समझौता) किया और जो पाकिस्तान आज हम देख रहे हैं वह अंधेरे में हमारा गला काट कर बनाया गया। मगर आज दक्षिण वाले छोटी सी मांग रख रहे हैं और वह यह भी नहीं चाहते हैं कि हम बिलकुल अलग हो जायें। वह तो वफादार प्रान्त बनकर रहना चाहते हैं। आप ने पाकिस्तानी ऊंट तो आसानी के साथ निगल लिया मगर भाषावार प्रान्त रूपी जो मच्छर है उस को आप थूकते हैं। यह ठीक भी है क्योंकि पाकिस्तान रूपी जो ऊंट था वह आप का बड़ा अज़ीज़ है, लज़ीज़ है, प्यारा है, दुलारा है। भाषावारी मच्छर है यानी हिन्दू रूपी जो मच्छर है वह आप के मुंह का जायका खराब करता है, कड़वाहट पैदा करता है और मन को खराब करता है इस वास्ते मैं कहता हूं कि अगर आप एक दफ़ा निश्चय कर लें कि भाषावार प्रान्त होने चाहियें या नहीं होना चाहियें तो इस सवाल का हमेशा के लिये अन्त हो जायगा। अगर आप यह सोचते हैं कि होने चाहियें, देश को पसन्द

भाषावार प्रान्त बना दें

[डा० एन० बी० खरे]

फिर आप इस बात की परवाह न करें कि कौन क्या कहता है। आप इस बारे में साफ़ साफ़ और ईमानदारी के साथ बोल दें कि हमें यह करना है।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग पश्चिम) : ईमानदारी रहे तब ना।

डा० एन० बी० खरे : अगर आप भाषावार प्रान्तों को नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल ही एबालिश (समाप्त) कर दीजिये और आप विन्ध्य प्रदेश के उत्तर में जो प्रान्त है उन के भी टुकड़े कर दीजिये। फिर एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) के वास्ते, राज्य प्रबन्ध की सहूलियत के वास्ते हिन्दुस्तान के पांच छः ज़ोन (प्रदेश) बना दें। उस में भाषा का कोई सवाल नहीं होगा, यह न्याय की बात होगी। उस से फिर जो यह दक्षिण पर अन्याय है और उत्तर के साथ न्याय है, यह बातें नहीं होंगी यही मेरा कहना है।

अब रहा महाराष्ट्र का सवाल। मैं जानता हूं कि जो कोई ऐसा सवाल उठाता है तो उसको हमारे मुन्शी साहब, जो यहां मिनिस्टर रह चुके हैं, एक नये शब्द से पुकारते थे, लिंग्विज्म या भाषीयता। भाषीयता, प्रान्तीयता, जातीयता यह सब कहते हैं। लेकिन यह नहीं जानते कि पक्षीयता भी सब से बड़ा सवाल है और बुरी चीज़ है मुन्शी साहिब ने हमारे महाराष्ट्र को लिंग्विज्म की गाली दी। लेकिन वह खुद क्या कहते हैं यह किसी को पता नहीं। वह एक कवि हैं, साहित्यिक हैं। उन की पोयट्री (कविता) में एक लाइन बताता हूं जो वह लिखते हैं और जिस से मालूम होगा कि वह स्वयं कितने लिंग्विज्म के दोषी हैं।

"ज्यां ज्यां बसे एक गुजराती, त्यां त्यां सदाकाल गुजरात।"

एक गुजराती भी जहां कहीं बसता है वह सब गुजरात बन जाता है, यह उन का कहना है और वह हमको लिंग्विज्म के दोषी कहते हैं।

इसलिये आप को इस सवाल को हल करना चाहिये। पहले आप साफ़ तय कर लो कि भाषावार प्रान्त होने हैं या नहीं यह तय हो कि भाषावार प्रान्त होने हैं तो फिर एक बाउंडरी कमीशन (सीमा आयोग) बिठा दो। अगर यह तय कर लो कि यह भाषावार प्रान्त नहीं होने चाहियें, यह देश के लिये नुकसानदेह हैं, तो फिर सारे देश को जोन्स में बांट दो। बस यही मुझे कहना था, और कुछ नहीं।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा (कोलार): श्रीमान इस सदन में बोलने का मेरा यह पहिला अवसर है। मैं प्रस्तुत संकल्प का घोर विरोध करना चाहता हूं। क्योंकि यह न केवल देश के हित के विरुद्ध है अपितु इस से राष्ट्र की एकता भी खतरे में पड़ जायगी।

डा० लंका सुन्दरम के भाषण को सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ कि किस तरह से एक अन्तर्राष्ट्रवादी व्यक्ति देश को भाषाओं के आधार पर बांटने की बातें कर रहा है। उन्होंने कोलार का भी जिक्र किया। कोलार मैसूर राज्य का एक भाग है तथा यहां भारत का १५ प्रतिशत सोना पैदा किया जाता है। मैसूर एक भाषा-भाषी राज्य नहीं। इसकी प्रगति के लिये कन्नड भाषी लोग उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि तेलुगू भाषी अथवा तामिल भाषी हैं। मैसूर इन संस्कृतियों का संगम है तथा यह एक सार्वभौमिक रूप धारण किये हुये हैं जो कि राष्ट्रीय प्रगति के लिये एक आवश्यक चीज है।

डा० लंका सुन्दरम चाहते हैं कि मैसूर का एक भाग, कोलार क्षेत्र जहां का प्रतिनिधित्व मैं इस सदन में कर रहा हूं आन्ध्र देश में शामिल कर लिया जाय। हम ऐसे करने के लिये तैयार नहीं तथा न ही हम कर्नाटक में जाने के लिये तैयार हैं। मैसूर की विधान सभा में कई बार यह स्पष्ट किया गया है कि यदि मैसूर के इर्द गिर्द के कन्नड भाषी क्षेत्र बृहत्तर मैसूर में शामिल कर लिये जायें तो मैसूर वासी उनका स्वागत करेंगे, इसी तरह रायलासीमा के भी बहुत से लोग मैसूर में शामिल होने के लिये तैयार हैं। किन्तु जहां तक मैसूर का सम्बन्ध है हम इसे भारत के किसी भी अन्य भाग में शामिल करने के लिये तैयार नहीं।

कम्युनिस्टों का तो यह हाल है कि वह हर उस बात का समर्थन करने के लिये तैयार रहते हैं जिस से कि सरकार परेशान हो जाय। उन का इस प्रांत अथवा उस प्रान्त से कोई वास्ता नहीं। वह केवल देश की एकता को खतरे में डालना चाहते हैं तथा संविधान को भंग करना चाहते हैं। मुझे याद है कि कम्युनिस्ट नेता श्री गोपालन कई बार कोलार आये। उन्होंने वहां कभी भी भाषावार प्रान्तों की रचना का उल्लेख नहीं किया। उनका तरीका ही अलग है। १९४२ में जब कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे वह उनके मित्र बने थे। १९४३-४४ में वह फिर अंग्रेजों तथा अमेरिकनों के शत्रु बन गए। वह उस तरह से बोलते हैं गोया उन्हें किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधित्व का एकाधिकार प्राप्त है।

भाषावार प्रान्तों की रचना के सम्बन्ध में राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारण दिये जाते हैं। जहां तक राजनीतिक कारणों का सम्बन्ध है हम अपने इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुस्लिम लीग ने भी इसी आधार पर पाकिस्तान की मांग की थी तथा इस के दुष्परिणाम हम देख ही चुके है।

जहां तक भाषाओं के आधार पर राज्य बनाने का सम्बन्ध है, मैं ने यूरोप को छोड़ के कहीं भी ऐसा नहीं देखा है। परन्तु युरोप का हाल आप देखते हैं। यह छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ है। यह हमारे लिये एक चेतावनी है।

बताया जाता है कि कांग्रेस भाषाओं के आधार पर प्रान्त बनाने के लिये वचन-बद्ध है। इस सम्बन्ध में भाषावार प्रान्त आयोग का विचार है कि कांग्रेस इस प्रकार की वचनबद्धियों से मुक्त है क्योंकि स्वराज्य प्राप्ति के बाद परिस्थितियां ही बदल गई हैं और नये नये खतरे देश को घेरे हुये हैं।

तो मेरा यह विनम्र निवेदन है कि भारत के लिये एक ही भाषा होनी चाहिये। यह भाषा हिन्दी होनी चाहिये जिसे कि संविधान में राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है। देश की एकता के लिये यह ज़रूरी है कि हमारी एक ही राज-भाषा होनी चाहिये यद्यपि हम विभिन्न बोलियां बोलते हों।

मैं इस सदन के नेता तथा माननीय सदस्यों से फिर एक बार अपील करता हूं कि वह इस विषय के सम्बन्ध में अपने निर्णयों में परिवर्तन करें। इस में बुद्धिमानी है तथा राष्ट्र का हित है। हमारे सामने कई आर्थिक तथा सामाजिक समस्याएं हैं। उन्हें पहले हल कीजिये और फिर इस प्रकार की बातों पर ध्यान दीजिये।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : भारतीय संघ के राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के प्रश्न पर किसी राजनीतिक दल विशेष के दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत केवल इस सदन को इस प्रश्न का फैसला करने का अधिकार है। कहा जाता है कि इस समस्या को हल करने में कठिनाइयां हैं। कठिनाइयां तो अवश्य हैं, किन्तु उन के बावजूद इसे एक उचित तथा न्यायपूर्ण ढंग से हल करना होगा। देश के विभिन्न भागों से इस के अविलम्ब परीक्षण के लिये मांग की जा रही है, जो कि एक दुरुस्त मांग है।

जहां तक कांग्रेस द्वारा वचन देने का प्रश्न है पंडित नेहरू, सरदार पटेल तथा डा० पट्टाभि सीतारामैय्या ने अपनी रिपोर्ट में एक स्थान पर कहा है कि यद्यपि कांग्रेस ने भूतकाल में इस सम्बन्ध में वचन दिये हैं, फिर भी इस प्रश्न पर एक नये दृष्टिकोण से विचार करना होगा विशेषकर अगस्त १९४७ की घटनाओं को ध्यान में रखते हुये। तो हमें वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये इस बात का सदैव के लिये निर्णय करना होगा कि क्या भारत में भाषावार प्रान्त बनाये जाने चाहियें अथवा नहीं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मेरी यह सदैव धारणा रही है कि केवल भाषाओं के आधार पर ही भारत का बटवारा नहीं होना चाहिये। हमें इस विषय में प्रशासकीय क्षमता, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि तथा देश की एकता को भी ध्यान में रखना चाहिये। यदि आप प्रान्तों को न रखने की प्रस्थापना करते हैं तो फिर भाषाओं आदि का झगड़ा ही मिट जाता है। किन्तु यदि आप अपनी प्रशासकीय व्यवस्था में प्रान्त रखते हैं, तो यह कुछ मुख्य बातों के आधार पर बनाये जाने चाहियें, जिनमें स्पष्टतया भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

समय की कमी के कारण मैं इस समस्या के सभी पहलुओं पर प्रकाश न डाल के केवल बंगाल से सम्बन्धित कुछेक बातों का उल्लेख करूंगा। मैं पश्चिमी बंगाल का मामला स्वतंत्र भारत की संसद् में पेश करता हूं। बंगाल एक ऐसा प्रान्त है जिस का देश की स्वतंत्रता की खातिर बटवारा हुआ है। आज का बंगाल पुराने बंगाल का केवल एक तिहाई भाग रह गया है। इस की जनसंख्या का घनत्व जो कि १९४१ में ७५५ था बढ़ कर १९५१ में ८०५ हो गया है। इस से यह स्पष्ट है कि यदि मैं इस की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिये मांग करता हूं, तो यह किसी भावुकता के अधीन होकर नहीं करता हूं। बंगाल के लिये यह जीवन मरण का प्रश्न है। सन् १९११ में भी जब कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था, इसकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के लिये निर्देश दिये गये थे तथा इस में बिहार राज्य का मानभूम ज़िला, सिंहभूम तथा चौबीस परगने के कुछ भाग तथा पूर्निया ज़िले का कुछ छोटा सा भाग शामिल करने के लिये कहा गया था। १९११ के कांग्रेस अधिवेशन में भी इस सम्बन्ध में एक संकल्प पारित कर लिया गया था तथा १९१२ में डा० सच्चिदानन्द सिन्हा के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने एक वक्तव्य जारी किया था जिस में कहा गया था कि यह ज़िले बंगाल को वापिस मिलने चाहियें। इसके बाद भी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने कई बार बिहार के इन बंगलाभाषी क्षेत्रों पर बंगाल का दावा स्वीकार किया। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, दिसम्बर १९३७ में ही अखिल भारत कांग्रेस कमेटी ने अपनी एक बैठक में भाषावार प्रान्तों के

सम्बन्ध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके अन्त में यह कहा गया था कि बिहार की कांग्रेस सरकार से यह प्रार्थना की जाये कि वह बिहार के यह क्षेत्र बंगाल को वापिस करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करे। तो इस इतिहास को दृष्टि में रखते हुये तथा बंगाल की बदली हुई परिस्थिति पर ध्यान देते हुये हमारी जो मांग है वह बिल्कुल उचित है।

सके अलावा भी पूर्वी बंगाल में अभी ९० लाख हिन्दू पड़े हुये हैं न जाने उनका भाग्य क्या होगा। बहुत से तो यहां आ रहे हैं और यदि दस, बीस अथवा तीस लाख हिन्दू और वहां से निकल आयें, तो उनका क्या होगा? यह न केवल पश्चिमी बंगाल के लिए अपितु सारे भारत के लिये एक बड़ी समस्या होगी। कहा जाता है कि उन्हें दूसरे प्रान्तों में भेज दिया जायगा। मेरा निवेदन है कि वह बंगाल के सुपूत हैं। तथा उन्हें बंगाल में ही रखना होगा, क्योंकि, जैसे कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, यदि हमें प्रान्तों को अपने प्रशासकीय ढांचे में रखना है तो उन्हें इस तरह से रखना होगा कि किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपनी परम्पराओं तथा भावनाओं के अनुसार अपना जीवन वहां बिता सकें तथा इस तरह से सारे राष्ट्र की शक्ति तथा मृद्धि में वृद्धि कर सकें। मैं एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार के पक्ष में हूं, मैं एसी बातें नहीं चाहता हूं जिन से कि हमारे देश का अंग भंग हो जाये किन्तु इसके साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि हमारे प्रत्येक जन-समुदाय में शान्ति हो तथा इस बात का संतोष हो कि उन्हें अपने जन्म-सिद्ध अधिकार प्राप्त हो रहे हैं।

सारांश यह कि बंगाल को समीपवर्ती प्रान्तों से कुछ क्षेत्र मिलने चाहियें जिस से कि उसे रहने के लिये जगह मिल सके। मैं यह नहीं चाहता हूं कि हमें वह क्षेत्र दिये जायें जिन से हमारे पड़ौसी प्रान्त निर्बल हो जायें। तथा न ही हम उन से अनुचित रूप से कोई चीज़ छीन लना चाहते हैं, परन्तु बिहार और आसाम में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आसानी से बंगाल के साथ मिलाया जा सकता है। इसी तरह त्रिपुरा भी पश्चिमी बंगाल में शामिल कर लिया जाना चाहिये।

विभाजन के बाद अधिकांश राज्यों में जन संख्या का घनत्व कम हुआ जैसे कि जन-गणना रिपोर्ट से विदित होता है। इसका कारण यह है कि उन राज्यों में और भी क्षेत्र मिला दिये गए हैं। यह ठीक ही हुआ, किन्तु फिर भी राज्यों की सीमाओं में फर बदल करने की गुंजाइश है। इसके लिय भारत के प्रधान मंत्री ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सारे देश के हित में तथा सम्बन्धित राज्यों के हित में उचित कार्यवाही करन के लिये पहल कर सकते हैं।

आज भी पश्चिमी बंगाल अपने विकृत रूप में भारत के कुल आय कर का ३५ प्रतिशत भाग भुगत रहा है, भारत के कुल बहिः शुल्क का ४० प्रतिशत भाग इसी प्रान्त से आता है, भारत के लगभग ७० प्रतिशत मूल उद्योग इसी प्रान्त में स्थित हैं तथा इसका ४० प्रतिशत सामुद्रिक व्यापार भी इसी प्रान्त के द्वारा होता है। पिछली जनगणना रिपोर्ट से आप को मालूम होगा कि पश्चिमी बंगाल में रहने वाले २० प्रतिशत लोग दूसरे प्रान्तों से आये हुए हैं। यह आज एक सार्वभौमिक राज्य बन गया है वहां।

[डा एस० पी० मुखर्जी]

आपको गुजराती स्कूल, खालसा स्कूल तथा हिन्दी स्कूल मिलेंगे । हम ने उन लोगों पर कभी भी बंगाली ठोंसने का प्रयत्न नहीं किया । परन्तु आज हमारे सामने यह प्रश्न है कि क्या पश्चिमी बंगाल जीवित रहने जा रहा है अथवा नही ? हम केवल यह चाहते हैं कि हमें उतना स्थान मिले जिससे कि हमारा निर्वाह हो सके ।

मैं प्रधान मंत्री से बार २ कह चुका हूं कि देश का बटवारा जिस आधार पर हुआ था, वह आधार ही मिट गया है । पूर्वी बंगाल से हिन्दू निकाले जा रहे हैं । यदि हम पाकिस्तान से पूर्वी बंगाल के एक तिहाई भाग के लिए मांग करते जैसे कि सरदार पटेल ने एक बार की थी, तो आज सीमा पुनर्निर्धारण का यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

बंगालियों को दूसरे प्रान्तों में भेजने के विषय में न केवल उनके पुनर्वास की बात आ जाती है अपितु उनके वैध अधिकारों का भी प्रश्न आ जाता है । भारत संसद् में उनके प्रतिनिधित्व का प्रश्न आ जाता है, व्यापार कारबार तथा सेवाओं में उनके हक्क का प्रश्न आ जाता हैं । मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न को शीघ्र हल किया जाए जिससे कि स्थिति और बिगड़ने न पाए । सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे जिससे लोगों को भी मालूम हो जाय कि उनकी स्थिति क्या हैं । मैं प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि यदि सरकार कांग्रेस द्वारा दिए गए इस वचन को पूरा करना चाहती है तो उसे एक आयोग स्थापित करना चाहिए, सलाहकार नियुक्त करने चाहिएं अथवा सम्बन्धित क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिनिधियों के अनौपचारिक सम्मेलन बुलाने चाहिएं तथा इस तरह से कार्यवाही करनी चाहिए कि वह किसी ऐसे निश्चय पर पहुंच पायें जो सभी सम्बन्धित पक्षों को स्वीकार्य हो । यह पार्टीबाज़ी का कोई प्रश्न नहीं, यह सारे राष्ट्र का प्रश्न है । हमें अत्यन्त ही सावधानी तथा सतर्कता से काम करना होगा जिस से कि राज्यों की आवश्यकतायें भी पूरी हों तथा भारत की सुरक्षा पर भी कोई बुरा प्रभाव न पड़े । यदि हम ज़िम्मेदार प्रतिनिधियों की हैसीयत से यह लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगें तो इस से दश के लाखों लोगों को शान्ति तथा समृद्धि प्राप्त हो सकती है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंगल-भारतीय) : मैं इस संकल्प का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि मेरी धारणा है कि इस विषय का मूल कारण स्थानीय भावुकता तथा राजनीतिक स्वार्थ है । यदि हम डा० मुखर्जी के इस तर्क को मान लेंगे कि सांस्कृतिक स्वायत्तता के साथ प्रशासकीय स्वायत्तता का संयोग होना चाहिये तो इसका मतलब यह होगा कि हम देश को विभिन्न भागों में बिखरने के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। किसी ने अनुसन्धान किया है कि भारत में २२० बोलियां हैं । तो ऐसी दशा में सांस्कृतिक स्वायत्तता को प्रशासकीय स्वायत्तता के साथ संयोजित करने का सिद्धान्त कैसे लागू किया जा सकता है ? यह पाकिस्तान जैसी ही जटिल समस्या बन जायगी ।

भाषावार प्रान्तों के समर्थकों में से किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट नहीं किया है कि इतनी बोलियां बोलने वाले समुदायों से कैसे उचित तथा न्यायसंगत व्यवहार किया जा सकता है । मैं आन्ध्र वासियों की मांग के गुणदोषों की बात नहीं कर रहा हूं । मेरा केवल यह

आशय है कि यदि उनके इस दावे को सिद्धान्ततः स्वीकार किया जाय, तो यह मामला यहीं पर खत्म न होके अन्तर्प्रान्तीय झगड़ों तथा द्वेष का कारण बन जायगा। इस तरह हमारी सारी विकास योजनायें बेकार हो जायंगी। जहां तक मैं देख पाता हूं, भाषावार प्रान्तों की मांग के दो मूल कारण हैं। एक कारण यह है कि हिन्दी के मतवालों की अति उत्सुकता को देखते हुये कुछ लोगों के दिलों में एक प्रकार का भय पैदा हुआ है। यह ठीक है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। परन्तु जिस तरह से यह लोगों पर ठोंसी जा रही है, उस से भाषावार प्रान्तों की पुकार और भी उग्र हो गई है। इसका दूसरा कारण निहित सम्प्रदायवाद है। ऐसे लोग भूतपूर्व मुस्लिम लीगियों के हमजोली हैं। पाकिस्तान की मांग द्विराष्ट्र सिद्धान्त पर आधारित थी तथा मेरा निवेदन है कि भाषावार प्रान्तों की मांग बहु-राष्ट्र सिद्धान्त पर आधारित है। इस मांग के पक्षपाती तथा समर्थक क्या चाहते हैं? वह भूतपूर्व मुस्लिम लीग की तरह विशेष वर्गों के लिये विशेष अधिकार चाहते हैं। जहां तक अंग्रेज़ी भाषा का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि भारत को एक राष्ट्र बनाने में इसका बड़ा हाथ है। परन्तु आज इसी भाषा को नष्ट करने के लिये हिन्दी प्रेमी तुले हुये हैं। हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है परन्तु यदि हम इस प्रारम्भिक अवस्था पर पृथकत्व की भावना को प्रोत्साहन दे देंगे तो हिन्दी कभी भी इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती है तथा इस तरह से राष्ट्र की एकता में फर्क आ सकता है।

डा० मुखर्जी ने कहा कि हमें अपने इतिहास से सबक़ लेना चाहिये। हमारा इतिहास हमें क्या बताता है? यही कि कई शताब्दियों तक हम पर राष्ट्रीय निष्ठा की अपेक्षा राज्य अथवा प्रादेशिक निष्ठा का अधिक प्रभाव रहा है, मुझे क्षमा किया जाय यदि मैं कहूं कि हमारा राष्ट्र अभी किशोर अवस्था में है तथा हमें अभी इसे बनाना है तथा काफ़ी बढ़ाना है। हमें भाषावार प्रान्तों की मांग का प्रोत्साहन कर के इस राष्ट्रीय भावना को नष्ट न करना चाहिये। मेरा अपना विचार है कि भाषावार प्रान्तों की रचना से देश में गड़बड़ मच जायगी।

सांस्कृतिक स्वायत्तता के साथ प्रशासकीय स्वायत्तता संयोजित करने से क्या होगा, यह हम हिन्दी भाषा प्रान्तों में देख रहे हैं। वहां उन वरिष्ट अधिकारियों को जो हिन्दी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, ऐसे कागज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जाता जो मामूली क्लर्कों द्वारा लिखे जाते हैं तथा जिनका मतलब भी वह समझने नहीं पाते हैं, तो यदि इस सिद्धान्न को मान लिया जाय तो हर जगह ऐसा ही होगा। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 'परन्तु' प्रकार की हिन्दी पुरःस्थापित करके जनता को कठिनाई में डाल दिया गया है। आखिर क्या कारण है कि पंडित पंत तथा श्री रविशंकर शुक्ल जैसे महानुभाव अपने बच्चों को आंग्ल-भारतीय स्कूलों में पढ़ाई के लिये भेजते है? सरकारी स्कूलों में यह हाल है कि मैट्रिक पास करने पर भी एक छात्र हिन्दी, हिन्दुस्तानी में अर्धसाक्षरता ही प्राप्त करता है तथा अंग्रेज़ी की पढ़ाई में उसकी शोचनीय दशा होती है।

मुझ प्रसन्नता है कि भा ा के सम्बन्ध में दक्षिण वालों का दृष्टिकोण संकुचित नहीं है। उन्होंने अपना, शिक्षा सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक क्षेत्र संकुचित नहीं रखा।

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

इस कारण से वह भारत की प्रशासकीय सेवाओं में यथापूर्व आगे आगे रहेंगे। जहां तक समुद्र पार तथा उच्च-शिक्षा का सम्बंध है, वह वहां भी आगे आगे रहेंगे। लेकिन यदि इसके बावजूद उन पर भाषा तथा भाषावार प्रान्तों का झगड़ा थोपा गया तो यह सब बातें खत्म होंगी तथा प्रशासकीय कार्यक्षमता भी नष्ट होगी। उन्हें यथावत् रहन दिया जाय।

इस समस्या को हल करन के लिये न केवल प्रतिभा की आवश्यकता है अपितु साहस की भी आवश्यकता है। मैं इस सदन के नेता से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रश्न पर राजनीतिक स्वार्थ के दृष्टि-कोण से विचार न करें जैसे कि कम्यु-निस्ट पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दल करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

यदि कांग्रेस इस प्रकार की मांगों को स्वीकार करने लगेगी तो इस से देश में एक अनूठा पूर्व संघर्ष पैदा होगा जो मुस्लिम लीग तथा उसके सिद्धान्तों को भी मात करेगा। देश कई भागों में बट जायगा। श्री जवाहरलाल नेहरू ने साम्प्रदायिक राजनीतिक दलों को पछाड़ दिया है उन्हें इस नये सम्प्रदायवाद को भी पछाड़ना होगा। यह देश के लिये ज्यादा खतरनाक है भाषा का झगड़ा खत्म करने से ही कांग्रेस इस गुत्थी को सुलझा सकती है। तो प्रधान मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह देश के लिए एक संयोजित भाषा नीति अपनाएं जहां हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में सुमेल हो।

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा) : मेरा इस संकल्प पर बोलन का कोई विचार नहीं था, परन्तु मैं महसूस करता हूं कि मझे भी इसके सम्बन्ध में कुछक शब्द बोलने चाहिये।

भाषावार प्रान्तों की समस्या कोई नई समस्या नहीं। यह आज ५० वर्ष से चल रही है। जहां तक हमें मालूम है कांग्रेस इस विषय पर अंग्रेजों के साथ संघर्ष करती रही है तथा वह सदैव इसके पक्ष में रही है। वह जानती थी कि अंग्रेजों का इस में अपना स्वार्थ है क्योंकि वह फूट डाल कर राज करना चाहते थे। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि आज भी वह पुरानी व्यवस्था यथावत् विद्यमान है।

मैं आन्ध्र से आया हूं तथा इस सदन में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे मालूम है कि वहां की जनता निस्सन्देह एक अलग आन्ध्र प्रान्त चाहती है चाहे आप वहां के कुछेक व्यक्तियों को उच्च-पद दे के उन्हें चुप ही क्यों न करा लें। कहा जाता है कि वहां के लोगों में पारस्परिक मतभद नहीं। मेरा निवेदन यह है कि उन में कोई मतभेद नहीं। ९० प्रतिशत आन्ध्रवासी आन्ध्र प्रान्त बनाये जाने के पक्ष में हैं। हमें वास्तविकता से अपनी आंखें मूंद नहीं लेनी चाहियें। मुझ आशा है कि इस सदन के नेता विभिन्न प्रान्तों के विभिन्न नेताओं से बातचीत करके इस समस्या पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही मैं यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि यदि हम इस भारी समस्या पर अधिक गम्भीरता से तथा उदारता से विचार न करेंगे तो जनता अपने इस अधिकार को मनवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करके ही रहेगी चाहे यह आज करे अथवा कल करे।

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरादक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, अब तक मैं सब के भाषण सुन रही थी और मुझे आश्चर्य हुआ कि सारे महीने भर जो हम ने बजट की चर्चा के मौके पर भाषण किये वह सब

हम भूल गये क्या ? बजट के हर एक आइटम (मद) पर जो लोग बोले, उन सब ने कहा कि हमें उस के लिये पैसा दीजिये, इस चीज के लिये पैसा दीजिये, इन्डस्ट्रीज (उद्योगों) को बढ़ाने के लिये पैसा दीजिये, देश में शिक्षा प्रसार कार्य के लिये पैसा दीजिये और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स (नदी घाटी परियोजनाओं) के लिये पैसा दीजिये । और हमारे अर्थ मंत्री ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है । अब हम जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेज (भाषावार प्रान्तों) के बनाने की बात कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिये कि आखिर हमारी क्या ख्वाहिश है और कौन सी चीज करने का कौन सा मौका ठीक है और आज की हालत में ऐसा करना क्या मुनासिब है । इन सब बातों पर हमें विचार करना होगा । इस में कांग्रेस अथवा सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कहा है उस के पीछे जाने की कोई बात नहीं है । आज हम बदले हुए हालात में रह रहे हैं । जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब हम ने सब से पहले इस चीज पर विचार किया कि अपनी इस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिये हमें अपने देश में ला एन्ड आर्डर (शान्ति तथा व्यवस्था) ठीकतौर से कायम रखें और वह काम हमारी सरकार ने सब से पहले अपने हाथ में लिया और उस के बाद दूसरा काम इन्टिग्रेशन आफ इंडियन स्टेट्स (भारतीय राज्यों का एकीकरण), भारतीय राज्यों का बिलय अपने हाथ में लिया और देशी राज्यों का एकीकरण किया, लेकिन इन्टिग्रेशन (विलय) के सम्बन्ध में भी अगर हम अच्छी तरह से सोचें तो पता लगेगा कि केवल राजा महाराजाओं के दस्तखत लेने मात्र से यह इन्टिग्रेशन (विलय) का काम पूरा नहीं होता ।

जिस तरह से दूध पानी में मिलता है उस तरह से जो जो स्टेट्स आपस में इन्टिग्रेट (विलीन) हुई हैं या प्रान्तों में मिलाई गई है उन का इन्टिग्रेशन ठीक हो जाय तभी हमारे देश का काम अच्छी तरह से आगे चल सकता है । जो जो यूनियन्स (संघ) बनाये गये उन यूनियन्स में अभी पूरी पूरी सर्विसेज (सेवाएं) भी नहीं हैं । राज्यों में जिस प्रकार से काम चलता था उनका ढंग देखिये, काम देखिये तो कई जगह तो यह भी अभिलेख नहीं है कि जमीन कितनी है और कहां है । यह सब काम अभी करना बाकी है, और इस सब चीज को सोचे बिना हम ऐसा कहें कि नहीं भाषावार प्रान्त भी होने चाहियें तो काम कैसे चल सकता है ? क्या आप ने कमेटी रिपोर्ट को पढ़ा है कि उस के एकानमिक इम्पलोकेशन (आर्थिक प्रभाव) क्या हैं । कमेटी रिपोर्ट मैं ने पढ़ी है । सिर्फ गुजरात प्रान्त अपना काम चला सकता है । इसलिये मैं लिंग्विस्टिक प्राविन्सेज आज बनाने का विरोध करती हूं । इस में कोई पीछे जाने की चीज नहीं है । हमारे देश में अन्न की स्थिति बहुत खराब है, हम गरीब लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने देश की एकता को मजबूत करना चाहते हैं, यह सब काम पूरे होने के बाद हम इस के बारे में कुछ सोच सकते हैं । हमारे पास काश्मीर का मामला पड़ा हुआ है, इन सब चीजों के लिये पैसा चाहिये ।

इसलिये मेरी सब सदस्यों से विनती है कि इस समय आप अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुताबिक मत सोचिये, अपने देश की बात सोचिये । इस में कांग्रेस या सरकार के अपने बचनों से वापस जाने की बात नहीं, लेकिन देश की आज की हालत में कौन सी चीज पहले करनी चाहिये यह

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

सोचना चाहिये जब नदी घाटी परियोजनाओं पर चर्चा की जा रही थी तो उस समय हर एक प्रान्त वाले और हर एक डिस्ट्रिक्ट वाले की मांग थी हमारे प्रान्त में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी कान्स्टिटुएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) में, यह प्रोजेक्ट (परियोजना) होनी चाहिये। किसी ने यह नहीं कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिये पैसा है या नहीं । कहीं से पैसा ले आओ, लेकिन यह प्रोजेक्ट हमारे प्रान्त में होनी ही चाहिये तो हमें तय करना चाहिये कि कौन सी चीज़ हमें पहले चाहिये । अगर इस समय हमें अपने देश के लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, अपने देश को मज़बूत करना है, जिस समय पुनर्वास मंत्रालय पर बहस हो रही थी तो विरोधी पक्ष ने कहा कि इसका काम पूरा नहीं हुआ और भी पैसा हम को चाहिये तो क्या विस्थापित व्यक्तियों की समस्याओं को आप को बाक़ी रख छोड़ना है ? श्यामा प्रसाद बाबू ने कहा कि पूर्वी बंगाल से आये हुए इतने आदमी पड़े हुए हैं, और उन को राहत मिलनी ही चाहिये । तो क्या आप वह काम नहीं करना चाहते ह ? अगर करना चाहते हैं तो पहले उस के लिये आप को पैसा चाहिये कि लिंग्विस्टिक प्राविन्सेज़ चाहिये । आप को कोरी भावनाओं में पड़ कर एक दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिये । मैं आप सब को यह सोचने के लिये कहती हूं कि इस ख्याल से सोचें कि हमारे देश की भलाई की दृष्टि से कौन सी चीज़ करनी ठीक ह ।

अभी एक भाई ने महात्मा जी का नाम हिन्दी के बारे में ले कर कुछ कहा । हिन्दी के बारे में या हिन्दुस्तान के बारे में जो भाषा महात्मा जी चाहते थे वही भाषा हमारी सरकार ने मान्य की है और हमारे कान्स्टिट्यूशन (संविधान) ने मान्य किया है, आप उसको हिन्दी कहिये या हिन्दुस्तानी कहिये । उसमें यह लिखा गया है कि जो भाषा सब लोग समझ सकें वही भाषा हमारे देश की भाषा है । बात यह है कि जब ट्रांजीशन पीरियड (संक्रमण काल) होता है उस में कोई भाषा बनती है तो उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा फ़र्क़ हो सकता है । हमारी भाषा तो अभी बन रही है इसलिये भाषा पर इस तरह झगड़ा करना ठीक नहीं है । इसलिये जिस भाई ने यह प्रस्ताव रक्खा है उनका भी यही कहना है कि आप सोचें, अपोज़ीशन (विरोधी दल) वाले तो हर एक मौक़े पर यह सोचा करते हैं कि किस तरह से तकलीफ़ हो । इस में यह सोचने की बात नहीं है। आन्ध्र प्रान्त वाले कहते हैं कि हम ने कभी इन्कार नहीं किया, आन्ध्र तो सब से पहले तैयार है लेकिन हमारे आन्ध्र के लोग कभी एक राय पर नहीं आये । इसके लिये प्राइम मिनिस्टर से यह कहना कि आप सब को इकट्ठा करें यह उचित नहीं है । इकट्ठा करने का काम ठीक भी नहीं है। बात यह है कि आप खुद आपस में एक राय पर नहीं हैं । मद्रास का कोई आदमी कुछ कहता है कोई कुछ कहता है कि मद्रास के बिना भी काम चल जायेगा, आन्ध्र वाले कहते हैं कि हमें मद्रास चाहिये । पहले आपस में तय करें और उस के बाद आप कुछ कहें। लेकिन अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह चीज़ ठीक नहीं हो सकती । इसलिये यह भाषा-वार प्रान्त की बात बिल्कुल ग़लत है । आप जो बहस कर रहे हैं उस में जो आर्थिक दृष्टि है उसको सोचे बिना आप अपनी बात कहते हैं इस बात की तरफ मैं आप का ध्यान खींचने के लिये खड़ी हुई हूं ।

मुझे आप ने बोलने का मौक़ा दिया इस के लिये मैं आप की आभारी हूं ।

श्री गाडगिल (पूना-मध्य) : इस संकल्प को वर्तमान रूप में स्वीकार करना असम्भव है किन्तु इसकी पृष्ठ पर जो सिद्धान्त है वह निस्सन्देह स्वीकार्य है। कांग्रेस इस सिद्धान्त को पहले ही मान चुकी है। जैसे कि डा० मुखर्जी, ने बताया यह समस्या राष्ट्रीय महत्व की एक समस्या है तथा इसको उच्च-स्तर पर हल किया जाना चाहिये।

आज भी कई लोग भाषावार प्रान्तों की रचना का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि इस तरह से देश के हिस्से बिखर जायेंगे। परन्तु मेरा उन से निवेदन है कि वह स्थिति के सभी पहलुओं पर दृष्टि नहीं डालते हैं। जहां आज एक तरफ भोपाल, अजमेर–मारवाड़, तथा कुर्ग जैसे छोटे छोटे राज्य हैं वहां दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत के अधिकांश भाग पर छाया हुआ है। यदि आप एक वैज्ञानिक ढंग से इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो आप को कुछ सिद्धान्तों के आधार पर काम करना होगा। अंग्रेजों का तरीका भिन्न था। वह ज्यों ज्यों किसी क्षेत्र पर अधिकार करते जाते थे त्यों त्यों इसे अपने राज्य में मिलाते जाते थे। यही उनकी नीति थी। उनके लिये सिद्धान्त का कोई प्रश्न नहीं थी।

उनकी इस नीति के परिणामस्वरूप आज कई विचित्र बातें हमारी नजर में आ रही हैं। मराठी भाषी जनता को ही लीजिये। हैदराबाद में इनकी संख्या ४५ लाख है किन्तु फिर भी वहां यह अल्प-संख्या में हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में इनकी संख्या ८० लाख है। किन्तु वहां भी यह अल्पसंख्या में है। बम्बई में इनकी स्थिति कुछ अनिश्चित जैसी है, जिसे न अल्प संख्या कहा जा सकता है तथा न ही बहुसंख्या। इसका एक परिणाम यह निकला है कि मराठी को कहीं भी राज्य-भाषा की पदवी प्राप्त नहीं हुई है। इतना ही नहीं, मराठी भाषी क्षेत्रों में स्थानीय जनता दूसरे लोगों की अपेक्षा आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है। स्थानीय जनता अधिकांश रूप से किसान तथा मजदूर है जब कि कारबार तथा उद्योग दूसरे लोगों के हाथ में हैं। परिणाम यह हो रहा है कि जनता में निराशा तथा क्षोभ की भावना बढ़ रही है। हमें बताया जाता है कि भाषावार प्रान्त बनाने में बहुत सी कठिनाइयां हैं। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि कठिनाइयां कहां नहीं होतीं। १९४७-४८ में वह कठिनाइयां बड़ी हद तक वैध तथा उचित थीं। उस समय देश के संगठन का महान कार्य हमारे सामने था जिसे स्वर्गीय सरदार पटेल ने सफलतापूर्वक सम्पादित किया। आज इस समस्या को हाथ में लेने के लिए स्थिति अनुकूल है तथा हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब तक आप उन क्षेत्रों में प्रसन्नता तथा संतोष की भावना उत्पन्न न करेंगे तब तक उन्हें तथा उनकी निष्ठा को फूलने फलने का अवसर नहीं मिलेगा।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि जब 'सामान्य सहमति' हो तो भाषावार प्रान्त बनाए जायेंगे। किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि आपस में जरा भी मतभेद न हो। कांग्रेस का यह कर्तव्य बन जाता है कि अब, जब कि उसे सत्ता प्राप्त हुई है, वह इस सिलसिले में कोई ठोस कदम उठाये। मेरी राय में आन्ध्र, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के प्रदेश बनाने की समस्या मुख्य समस्या है। डा० श्यामप्रसाद मुखर्जी ने जिस समस्या

[श्री गाडगिल]

का उल्लेख किया [है वह वस्तुतः गौण है । कांग्रेस को चाहिये कि वह परिस्थिति को अपने वश में रखे तथा दूसरे पक्षों को पहल करने का मौका न दे । इस समस्या को हल करने में विलम्ब करना बुद्धिमता नहीं हैं । इस से जनता के मन में संदेह की भावना उत्पन्न होगी । यह हमारी राजनीति तथा नेतृत्व के लिए एक चुनौती है तथा यदि हम इसे स्वीकार करेंगे तो मुझे ज़रा भी संदेह नहीं कि इस समस्या का हल किया जायगा ।

किसी सदस्य ने श्री मुन्शी का उल्लेख किया । उन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि राष्ट्रीय आपात के टल जाने के बाद प्रान्तीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण का काम हाथ में लिया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि अब वक्त आ चुका है जब कि हमें यह काम हाथ में लेना चाहिए । मैं सदन के नेता से प्रार्थना करता हूं कि वह स्थिति को स्पष्ट करें तथा एक ऐसा वातावरण पैदा करें जिस में कि विभिन्न पक्षों में समझौता हो जाय । इस मामले को अंग्रेज साम्राज्यवादियों की तरह यह कह कर न छोड़ दिया जाय कि 'जब तक आप सहमत न हो जायं, कुछ भी नहीं किया जा सकता है' ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : मैं श्री गाडगिल के भाषण को ध्यानपूर्वक सुन रहा था तथा मैं समझ नहीं पाया कि इस मामले के सम्बन्ध में कम्यूनिस्ट पार्टी में तथा उन में कहां मतभेद है । उन्होंने कहा कि भाषावार प्रान्त बनाए जाने चाहिएं तथा भाषा एक मूल तत्व है । बंगाली, मलयाली तथा तामिली आदि केवल जन समुदाय ही नहीं, इन की कुछ अपनी अपनी विशेषताएं भी हैं, अपनी परम्परायें हैं तथा अपना रंगरूप है । हम केवल जन समुदाय नहीं, हमारा एक इतिहास है, हमारी एक भाषा है तथा हमारी अपनी अपनी पसन्द है । हमारी एक विशेष संस्कृति है तथा हमारा एक विशेष दृष्टिकोण है । और यह सभी चीजें मिल के हमें एक जाति बनाती हैं । यदि हम उन्हें अभिज्ञात करें तथा क्रियान्वित करें तो हम कोई बुरी बात तो नहीं करेंगे । ऐसा करने से भारत अधिक शक्तिशाली तथा अधिक संगठित होगा तथा इसे अपनी समस्यायें हल करने के लिए अधिक क्षमता प्राप्त होगी ।

कहा जाता है कि कांग्रेस इस सिद्धांत को मानने के लिए तैयार है । यह एक सीधी सी बात है । जब कभी कांग्रेस जनता को प्रेरित करके उनका सहयोग प्राप्त करना चाहती थी तो वह उच्च स्वर से भाषावार प्रान्तों का नारा लगाती थी । १९४६ में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस विषय को स्थान दिया । परन्तु आज हमें बताया जाता है कि हमें भारत की एकता तथा आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखना है । यह इस तरह से कहा जाता है गोया यह देश की एकता तथा समृद्धि के हित में नहीं है । लेकिन सच तो यह है कि इससे देश की आर्थिक तथा सामाजिक सुविधायें अधिक अच्छी तरह हल की जा सकती हैं । प्रादेशिक संतोष भारत की अधिक शक्ति तथा समृद्धि का कारण बन सकता है ।

हमारे प्रधान मंत्री राजे, महाराजों को नहीं चाहते हैं, उन्हें साम्राज्यवाद से घृणा है तथा वह चोरबाजारियों को फांसी पर लटकाना चाहते हैं । किन्तु इस के बावजूद वह इन सब को आश्रय दिए हुए हैं । उन्हें यह तत्व खत्म करने में कठिनाई आती है । यह कठिनाई क्या है, कथनी और करनी का अन्तर है ।

यदि यह सरकार सचमुच प्रजातांत्रिक सरकार है तो इसे जनता की मनोकांक्षाओं को अविलम्ब ही कार्यरूप देना चाहिए तथा बहानेबाजी को छोड़ देना चाहिए।

जहां तक केरल वासियों का सम्बन्ध है, उनकी संख्या डेढ़ करोड़ है तथा वह अपनी समस्याओं को अपने ढंग से हल करना चाहते हैं। अभी नारियल की जटा का मूल्य गिर जाने से केरल के लाखों लोगों को हानि तथा पीड़ा उठानी पड़ी है। आपने उनकी विपदा को दूर करने के लिये क्या किया है? आप हमें राज्य सरकार के पास जाने के लिये कहते हैं, तथा वह कहते हैं कि हम केन्द्रीय सरकार के मश्वरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ भी हो केरल की जनता पीड़ा उठा रही है, तथा हमारा विश्वास है कि केरल की सरकार ही इसे दूर कर सकती है। सदन को मालूम होगा कि त्रावणकोर-कोचीन से ५० करोड़ रुपय के मूल्य का माल निर्यात होता है जो कि भारत के कुल आयात लगभग ८ प्रतिशत है। यदि मालाबार को मिला के एक केरल प्रान्त बनाया जाय तो केरल वासियों का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है।

भारत से हमारे अलग होने का कोई प्रश्न ही नहीं। भारत हमारा उतना ही प्यारा है जितना कि किसी देशभक्त का यह हो सकता है। हमारे नेता प्रतिभाशाली हैं किन्तु उन्हें जनता से अधिक प्रतिभाशाली न बनना चाहिये। जनता शक्तिशाली है तथा सामर्थ्यवान है। उस में अपने हितों की रक्षा करने के लिये दूरदर्शिता है। मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि यदि इस विषय को सुलझाने में विलम्ब किया गया तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे। यह भारत को कमज़ोर करने का प्रश्न नहीं अपितु इसे बलवान बनाने की बात है; जिस से कि हम अपनी आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें तथा अपने देश के लिये संसार में गौरव का एक स्थान प्राप्त कर सकें।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्यमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, मैं इस बारे में बिल्कुल निश्चित नहीं हूं कि क्या यह वाद विवाद आज समाप्त हो रहा है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास अभी ४५ सदस्यों के नाम हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं केवल पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका निर्णय सदन पर छोड़ता हूं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : हम सुझाव देते हैं कि यह जारी रहे।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं यह कहना चाहता था कि यदि सदन की इच्छा हो तो सरकार इसे जारी रखने के लिये हर प्रकार की सुविधा देगी। मैं, इसलिये, वाद विवाद के बीच में बोल रहा हूं। बाकी वाद विवाद का उत्तर मेरे दूसरे सहयोगी दे देंगे।

आरम्भ से ही यह कहा गया कि इस विषय पर बिना किसी भावुकता के तथा पक्षपात के विचार होना चाहिये। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। डा० मुखर्जी ने कहा कि यह एक ऐसा मामला नहीं जिसे किसी पक्ष विशेष का मामला

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

समझा जा सकता है। मैं उन से भी पूर्णतया सहमत हूं। फिर भी मैं समझता हूं कि शायद यह अधिक अच्छा होता यदि यह किसी पक्ष विशष का मामला होता। मेरे कहने का यह आशय नहीं कि हरेक मामला पार्टीबाजी का मामला बन जाना चाहिये। अपितु आशय यह है कि पार्टी का मामला एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रान्तीयता को भावना को छिन्न भिन्न कर देती है, चाहे यह अच्छी हो अथवा बुरी। कुछ भी हो, कोई भी पार्टी इस पर प्रान्तीयता के आधार पर विचार नहीं करेगी। वस्तुतः यह प्रश्न एक प्रान्तीय प्रश्न है। इसलिये जब एक प्रान्त तथा दूसरे प्रान्त के प्रतिनिधियों के बीच कोई झगड़ा हो तो उस से बहतर यह होता कि यह किसी पार्टी विशष का मामला होता तथा इस पर किसी सिद्धान्त के आधार पर विचार किया जाता। इस पर विचार करने के कई तरीके हैं, परन्तु प्रान्तीय भावनाओं अथवा भेद भावों के आधार पर इस पर विचार न होना चाहिये।

इस सदन के कवि मदस्य ने अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति का उल्लेख किया तथा इस बात की ओर कुछ संकेत किया कि वर्तमान सरकार भी इस मामले में उसी नीति का अनुसरण कर रही है। मझे खद है कि मैं उनकी इस काव्य-कल्पना को नहीं समझ सका हूं।

भाषावार प्रान्तों की रचना के सम्बन्ध में कांग्रेस नीति का बार बार उल्लेख किया गया है तथा एक सदस्य ने यह भी कहा कि मैं कई वर्षों तक जनमत को अपन पक्ष में करने के लिए उच्च स्वर से भाषावार प्रान्तों का राग अलापता रहा हूं। मुझे मालूम नहीं कि मैंने ऐसा कब किया है। सत्य वह है कि मैं भाषावार प्रान्तों के सम्बन्ध में कभी भी उत्सुक नहीं रहा हूं। यह तो एक रहस्य है जो मैं इस सदन के सामने प्रकट कर रहा हूं। प्रांतों के संबंध में मेरे विचार ही कुछ भिन्न हैं। मेरी राय में इस देश में प्रांत बहुत छोटे हो चाहियें, ऐसे प्रांत नहीं जैसे कि आज हमारे यहां हैं, जिनका एक राज्यपाल है, एक उच्च न्यायालय है तथा ऐसी ही और और बातें हैं। परन्तु मेरी आवाज़ नक्कारखाने में तूती की जैसी आवाज थी, उस समय भी जब कि संविधान सभा इस पर विचार कर रही थी। हम वर्तमान परिस्थितियों के इतने आदि बन गये थे कि हमने अधिकांश रूप से उसी बात का अनुसरण किया जिसके कि हम आदि थे।

जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है लगभग ३० वर्ष पहले यह भाषावार प्रांतों की समर्थक थी। इसके बाद १९४५-४६ में इसके निर्वाचन घोषणा-पत्र में कहा गया :

> "कांग्रेस सदैव राष्ट्र के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ग तथा क्षेत्र की स्वतंत्रता का समर्थक रही है जिससे कि वह अपने जीवन तथा अपनी संस्कृति का विकास कर सके तथा यह बताया जाता है कि इस उद्देश्य के लिये यथासम्भव भाषा तथा संस्कृति के आधार पर प्रादेशिक क्षेत्र अथवा प्रांत बनाये जाने चाहियें।"

यह सात वर्ष पुरानी बात हुई। नवीनतम स्थिति गत साधारण निर्वाचनों के लिये बंगलौर में तैयार किये गये कांग्रेस के निर्वाचन घोषणा-पत्र में दी

गई है। क्या मैं उसे यहां पढ़ कर सुनाऊं ?

"भारत के दक्षिण तथा पश्चिम में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्वितरण के लिये निरन्तर रूप से मांग की गई है । कांग्रेस ने कई वर्ष पहले इसके पक्ष में अपनी सम्मति प्रकट की है । अन्ततोगत्वा इस प्रश्न का निर्णय सम्बन्धित लोगों की इच्छाओं पर ही निर्भर है । जबकि भाषा सम्बन्धी कारणों का निस्संदेह ही सांस्कृतिक तथा अन्य महत्व है । फिर भी आर्थिक, प्रशासकीय तथा वित्तीय तत्व कुछ ऐसे हैं जिन पर की विचार करना होगा । जहां ऐसी मांग सम्बन्धित लोगों के 'सहमत विचारों' का प्रतिनिधित्व करती है, वहां संविधान में निश्चित की गई कार्यवाही, जिसमें कि सीमा आयोग की नियुक्ति भी शामिल है, की जानी चाहिए।"

इस मामले में अधिकांश रूप से सरकार की यही नीति तथा स्थिति है ।

आंध्र प्रांत के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बताया कि यदि वहां मत लिये जायं तो ९५ अथवा ९७ प्रतिशत मत इसके पक्ष में आयेंगे । इस बात को पूर्णतया मानता हूं । परन्तु उस से मेरी कठिनाइयां समाप्त नहीं हो जाती हैं । मैं आन्ध्र प्रांत के पक्ष में हूं । परन्तु यदि आप इस विषय के बारे में तथा मद्रास नगर के बारे म आंध्रों तथा तामिलियों का मत लेंगे तो क्या होगा ? उस तरह से आप को ९० प्रतिशत मत प्राप्त नहीं होंगे । यह स्पष्ट ह कि यदि आप सिद्धांत के आधार पर आन्ध्रों से आन्ध्र प्रांत के बारे में मत ले लेंगे तो वह एक साथ इस के पक्ष में मत दे देंगे । इसी तरह यदि आप कर्नाटक के बारे में मत ले लेंगे तो वह भी ऐसा ही करेंगे । यही हाल महाराष्ट्रियों का होगा । यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया अथवा यदि उन से ऐसा करने की आशा नहीं की गई तो इस पर चर्चा करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। तो हम इस धारणा पर काम करते हैं कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बहुत से लोग अधिकांश रूप से भाषा के आधार पर अलग प्रांत चाहते हैं ।

परन्तु दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जहां दो ऐसे क्षेत्र एक दूसरे पर अति-छादी हों तथा जहां इनमें झगड़ा पैदा हो आप उसका कैसे फैसला करने जा रहे हैं ?

श्री नम्बियार (मयूरम) : वहां मत लिये जा सकते हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सम्भवतः । यह भी एक सुझाव है ।

इसीलिये आज एक वर्ष पूर्व सरकार की जो नीति बताई गई थी वह यह थी कि जहां इस प्रकार की मांग की जाय वहां सभी सम्बन्धित पक्षों--अर्थात् जिनका अतिछादी तथा सीमा क्षेत्रों से सम्बन्ध है--की सहमति प्राप्त होनी चाहिये, तभी इस बारे में आगे बढ़ा जा सकता है ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : यदि यह कठिनाइयां थीं तो कांग्रेस ने १९२७ में अपने मद्रास अधिवेशन में क्यों एक संकल्प पास किया था कि "आन्ध्र, कर्नाटक तथा सिन्ध प्रान्तों को बनाने का समय आ चुका है" ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे माननीय मित्र १९२७ की बात कर रहे हैं।

श्री एस० एस० मोरे : जी हां।

श्री जवाहरलाल नेहरू : तब से अब तक बहुत बातें हुई हैं। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि यह काम करने के लिये समय आज आ पहुंचा है। मैं उस वक्तव्य को चुनौती नहीं दे रहा हूं।

श्री एस० एस० मोरे : क्या उस समय आप ने इन कठिनाइयों का विचार नहीं किया था ? यही मेरा प्रश्न है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं, निस्सन्देह नहीं। क्योंकि उस समय यह एक व्यवहारिक प्रश्न नहीं था जिसे कि क्रियान्वित किया जा सकता था। उस समय हमने स्वभावतः, एक ऐसी बात को व्यक्त किया जो मूलतः एक स्वस्थ सिद्धान्त का बात थी। परन्तु उसे क्रियान्वित करने में आप को वह कठिनाइयां हल करनी हैं जो कि उत्पन्न होंगी। आप इन्हें कैसे हल कर सकते हैं ? आप इसे मतदान द्वारा हल कर सकते हैं जैसे कि एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। परन्तु कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका आप इस तरह से भी निपटारा नहीं कर सकते हैं। आप को वह गुत्थियां सुलझाने के लिये उपाय ढूंढने होंगे तथा उस के लिये समुचित वातावरण बनाना होगा।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि हमें इस नाजुक समय में भारत में एकता की भावना पैदा करने की बात को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा जो भी चीज़ इस कार्य में बाधक बनेगी उसे सम्भवतः कुछ समय के लिये, जब तक कि हम राष्ट्रीयता की दृढ़ आधार शिला रखें, स्थगित रखा जाये। यही कारण है कि मैं ने इस दिशा में क्यों कोई सक्रिय पग नहीं उठाया। यद्यपि मैं ने कई तरह से इस मांग को मान लिया, फिर भी मैं इस से आगे नहीं गया। ढाई वर्ष अथवा उस से कुछ अधिक समय पहले हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आन्ध्र प्रान्त बनाया जाय क्योंकि अधिकांश प्रश्नों का निपटारा हुआ था, वह भी हमारे द्वारा नहीं, अपितु सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा, आन्ध्रों, तामिलों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा एक समिति बनाई गई थी तथा स्थानीय सरकार ने लगभग सभी मामले निपटाये थे लेकिन एकाएक हमें पता चला कि कुछेक महत्वपूर्ण मामले, कुछ अत्यन्त ही आवश्यक मामले बिना निपटारे के रह गए हैं; क्या हम कोई फैसला दे के उन्हें स्वीकार करने के लिये मजबूर करते ? यह उस दिन की बात है जब गणतंत्र का नया संविधान लागू किया जाने वाला था, प्रश्न यह था कि क्या हम आन्ध्र प्रान्त को नये संविधान में एक अलग प्रान्त के रूप में शामिल करेंगे अथवा नहीं। सरकार तो इसके लिये बिल्कुल तैयार थी, परन्तु जब अन्तिम क्षण पर झगड़े शुरू होने लगे तो यह मामला फिर धरे का धरा रहा। तो यह विलम्ब ऐसी घटनाओं के कारण हुआ जिन पर कि हमारा कोई काबू नहीं था। मेरे विचार में आन्ध्र प्रान्त बनाने में काफी औचित्य था। इसका निर्माण अवश्यभावी है तथा मुझे ज़रा भी संदेह नहीं कि आन्ध्र लोग इसे चाहते भी हैं।

लकिन जब मद्रास नगर अथवा रायलासीमा के बारे में कोई कठिनाई उप्पन्न होती है तो सरकार के पास दो ही उपाय रह जाते हैं। एक तो यह है कि अच्छा वातावरण तैयार किया जाय तथा पारस्परिक सहमति से सम्बन्धित

पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की जाय दूसरा उपाय यह है कि अपना निर्णय सम्बन्धित पक्षों पर ठोसा जाय, माननीय सदस्य यह महसूस करेंगे कि यह कितनी बुरी बात होगी यदि सम्बन्धित पक्षों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई फैसला ठोसा जाय। इस से पड़ौसी प्रान्तों में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना तथा रोष फैल जायगा। इसलिये यह बहुत ही बेहतर होगा यदि कुछ समय ठहर कर इसे सम्बन्धित पक्षों की सद्भावना तथा सहमति से निपटाया जाय।

यही हमारा तरीका था। तथा मैं निवेदन करता हूं कि यह तरीका ठीक भी है क्योंकि यदि हम दूसरा उपाय प्रयोग में लायेंगे तो इस से झगड़े पैदा होंगे जो कई वर्षों तक चलते रहेंगे। मामूली से मामूली विभाजन से भी सभी प्रकार की कठिनाइयां, आर्थिक प्रशासकीय आदि आदि उत्पन्न होती हैं। बर्मा का विभाजन निस्सन्देह इस से भिन्न था। इस में झगड़े की कोई बात नहीं थी फिर भी इस में दस वर्ष लगे कई बातों को दृष्टि में रखते हुये यह अभी भी खत्म नहीं हुआ हैं। तथा इसके बाद के जो दुर्भाग्य पूर्ण विभाजन हुए वह हम सब जानते ही हैं। उनके परिणामों को देखते हुये हमें भारत का मानचित्र बदलने में कुछ कुछ संकोच होता है। मैं इनका तथा उनका मुकाबिला नहीं कर रहा हूं। किन्तु फिर भी इससे सारी व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाती है। निस्सन्देह जहां इसकी आवश्यकता है हमें इसे बदल देना चाहिये। मैं यह बात मानता हूं कि कुछेक मामलों में ऐसा करना जरूरी है। परन्तु इस संकल्प को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह न केवल अस्वीकार्य है अपितु आपत्तिजनक भी है। आन्ध्र, महाराष्ट्र अथवा केरल अथवा कर्नाटक से आये हमारे मित्रों के लिये यह ठीक ही है कि वह इस सम्बन्ध में निश्चित प्रस्थापनाएं प्रस्तुत करें जिन्हें कि विचार करने के बाद स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है। लेकिन यह कहना कि भाषाओं के आधार पर सारे भारत का ढांचा बदल दिया जाय, एक ऐसी बात है जिसका समर्थन कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसका मतलब सारी व्यवस्था को अस्तव्यस्त करना होगा तथा यह किसी भी समय खतरनाक सिद्ध हो सकता है। विशेषकर एक ऐसे समय में जब कि सारा विश्व एक गम्भीर परिस्थिति में से गुजर रहा है, ऐसा करना एक बड़ी नासमझी की बात होगी।

फिर हमारी एक शानदार विरासत है। निस्सन्देह हम इसे सुधारना चाहते हैं। तथा इसे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा करने में यदि हम अत्यधिक पक्षपात तथा प्रान्तीयता को स्थान देंगे तो यह एक खतरनाक बात होगी।

मेरे माननीय मित्र डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च स्वर से पश्चिमी बंगाल के बारे में बोले। इस में कोई संदेह नहीं कि देश के विभाजन के परिणामस्वरूप पश्चिमी बंगाल पर सब प्रांतों से अधिक बोझ आ पड़ा है। मुझे खेद है कि उन्होंने पूर्वी बंगाल से सम्बन्धित अन्य मामलों का भी जिक्र किया। वह तो भिन्न मामले हैं। उन्होंने यह तर्क दिया कि पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या बढ़ गई है इसलिये इसे और क्षेत्र मिलने चाहियें। तार्किक तथा सैद्धान्तिक रूप से यह ठीक प्रतीत होता है। परन्तु ऐसे मामलों में आप सदा तर्कयुक्त नहीं हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

से आये माननीय सदस्यों को डा० मुखर्जी की बात पसंद नहीं आई होगी, चाहे वह किसी भी पक्ष से सम्बन्ध रखते हों। मैं तो यह कहने नहीं जा रहा हूं कि कौन गलत है तथा कौन ठीक है।

अभी दो अथवा तीन महीने पहले मैं उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में था। वहां गोरखा संस्था की ओर से एक शिष्ट-मंडल मुझ से मिला तथा वह उत्तरी बंगाल में एक गोरखा अथवा नेपाली प्रान्त बनाने की मांग ले के मेरे पास आये थे। मुझे पूरा विश्वास है कि डा० मुखर्जी को यह बात पसन्द नहीं है। इसका आशय इस सीमित बंगाल से भी और क्षेत्र ले जाना है। इस सम्बन्ध में मेरी प्रतिक्रिया क्या है? यह बताने के बजाय मैं सरदार पटेल का वह उत्तर पढ़ के सुनाऊंगा जो उन्होंने इस सदन में एक प्रश्न के सिलसिले में दिया था तथा जिसके साथ मैं पूर्णतया सहमत हूं। जब गोरखा प्रान्त अथवा उत्तराखंड का प्रश्न उठाया गया तो उन्होंने कहा :

> "उत्तर बंगाल में उत्तराखंड बनाने की मांग को भारत सरकार मिथ्या, दुर्विचारित तथा राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल समझती है। भारत सरकार का पक्का इरादा है कि वह ऐसे किसी प्रान्त के निर्माण से सम्बन्धित किसी भी आन्दोलन को सहन नहीं करेगी तथा ऐसी शरारतपूर्ण गतिविधियों से देश की स्थिरता में दरार डालने न देगी।"

इस बात पर मैं और डा० मुखर्जी पूर्णतया सहमत हैं। परन्तु यदि वह बंगाल की वर्तमान सीमाओं में हेर फेर करने की बात करते हैं तो यह सारे प्रश्न फिर उत्पन्न होंगे, न केवल पश्चिम में अपितु उत्तर में भी।

यह कहना आसान है कि इस समस्या का एक न एक तरफ फैसला किया जाय। मैं इसे ठीक ठीक समझ नहीं पाया हूं। एक विशेष मामले का फैसला किया जा सकता है। परन्तु जब समस्त भारत में प्रान्तों के पुनर्वितरण की बात हो तो उसका कैसे एक न एक तरफ निपटारा किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि आप इसके लिये कुछ सिद्धान्त निश्चित करें। परन्तु सिद्धान्तों की आपस में टक्कर हो जाती है। एक तरफ भाषा का प्रश्न है, दूसरी तरफ़ आर्थिक निर्भरता, वित्तीय मामलों आदि का सवाल है। इनका सन्तुलन करके ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। गत कुछेक वर्षों में भारत का मानचित्र ही बदल गया है परन्तु पुराने प्रान्त अधिकांश रूप से वैसे ही रहे हैं। निस्सन्देह यह भी बदल सकते हैं। परन्तु इसके लिये आप किसी विशिष्ट मामले को उठाइये। यदि यह उचित हो तो इस पर विचार कीजिये तथा यदि मुनासिब समझें तो कार्य रूप दीजिये परन्तु यह कहना कि यह सिद्धान्त सारे भारत पर लागू होना चाहिये, एक बेकार बात होगी।

भारत तथा चीन जैसे विस्तृत देशों में इस प्रकार की कठिनाइयों का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। चीन में, फिर भी, उनकी एक ही लिखित भाषा है यद्यपि बोलने की भाषा में फ़र्क है। उन्होंने सारे देश को प्रदेशों में बांट कर प्रान्तों का झण्डा खत्म करने की कोशिश की है। तिब्बत, मंगोलिया जैसे स्वायत्तशासी क्षेत्रों को छोड़ के सारे देश को प्रदेशों में बांटा गया है। हो सकता है कि यह समस्या हमारे यहां उस से कुछ अधिक भिन्न तथा कठिन हो। परन्तु ऐसी बातें करना जिन से कि प्रान्तीयता की भावना

बढ़ जाय, निस्सन्देह ही देश को कमजोर बना देगी। यह समस्या का एक पहलू है।

दूसरा पहलू जो इतना ही महत्वपूर्ण है यह है कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण भाषायें हैं कोई भाषा चाहे अच्छी हो, अथवा बुरी हो, इसके साथ एक विशेष प्रकार के रहन सहन का ढंग तथा सोचने समझने का ढंग सम्बद्ध होता है। तथा यह उचित ही है कि सांस्कृतिक जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू को पूर्ण विकास का अवसर प्राप्त होना चाहिये।

जहां तक भाषा का सम्बन्ध है मैं चाहता हूं कि हमें भारत की सभी बोलियों, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हों प्रोत्साहन देना चाहिये। मैं इन्हें दबाने के पक्ष में नहीं हूं। बड़ी बड़ी भाषाएं तो अवश्य ही विकसित होनी चाहियें। जनता के विकास को उनकी बोलियों द्वारा ही प्रोत्साहन मिलना चाहिये। जिन राज्यों में एक से अधिक भाषायें हैं, वहां यह काम विभिन्न भाषाओं द्वारा हो होना चाहिये। मैं यह बात समझ नहीं पाता हूं कि किसी राज्य की राजनीतिक सीमाएं आवश्यक रूप से भाषा के आधार पर ही क्यों आधारित होनी चाहियें? मैं समझता हू कि भाषावार प्रान्तों की मांग के पीछे भाषा का नहीं अपितु इस भावना का हाथ है कि लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसका निवारण करना कुछ कठिन है। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिये यह हमारे लिये बुरी है। ऐसा संकुचित दृष्टिकोण रख के बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा नहीं लगता। इसका अर्थ यह होगा कि हम राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से न सोचते हैं और न ही कार्य करते हैं।

संकुचित भावना पर

चाहिये तथा ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिस से उस संकुचित दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिले। तो एक तरफ़ से हमें इस भावना को रोकना है तथा दूसरी तरफ से जन विकास को उनकी भाषा द्वारा बढ़ाना है। आप इन दोनों बातों का उचित संतुलन कर सकते हैं। दक्षिण में दो बड़े बहु-भाषा भाषी राज्य मद्रास तथा बम्बई हैं। मैं समझता हूं कि बहु-भाषा भाषी क्षेत्रों में विकास के लिये तथा एक उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिये अधिक अवसर है।

कुछ सदस्यों ने हैदराबाद का विघटन करके इसे तीन हिस्सों में बांटने की वांछनीयता अथवा आवश्यकता का उल्लेख किया। मेरे विचार में हैदराबाद का विघटन करना अवांछनीय दुर्भाग्यपूर्ण तथा हानिकारक होगा। हो सकता है कि कुछ सदस्य इस बारे में मुझ से सहमत न हों। लेकिन वह तो एक भिन्न बात है। मैं उनके सद्भावों को चुनौती नहीं देता हूं और न ही मैं हमेशा के लिये ऐसा कहता हूं। मैं इस समय की तथा निकट भविष्य की बात कर रहा हूं तथा मेरा विचार है कि हैदराबाद का बंटवारा करने की किसी भी कोशिश से सारे दक्षिणी भारत का ढांचा अस्त-व्यस्त होगा। मेरा यही विचार है धीरे धीरे पुरःस्थापित होने में वर्षों लग जाते हैं। यहां आपको एक विशिष्ट प्रशासकीय तथा अन्य व्यवस्था मिलेगी। वास्तव में हमें इन प्रान्तों अथवा राज्यों को केवल प्रशासकीय इकाइयां ही समझना चाहिये था। अन्य मामलों में हम आवश्यक रूप से प्रान्तीय दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं।

डा० एन० बी० खरे : क्या काश्मीर में राजतंत्र समाप्त करने से भारत के सम्पूर्ण ढांचे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा?

श्री जवाहरलाल नेहरू: क्या मैं सब से पहले यह निवेदन करूं कि माननीय सदस्य ने शब्द 'राजतंत्र' का जो प्रयोग किया है वह सही अथवा दुरुस्त नहीं है। भारत में कोई राजे महाराजे नहीं है। कुछ विशेष व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें पहले ब्रिटिश शासन के अधीन अपने राज्यों में कुछ सीमित अधिकार प्राप्त था तथा वह सीमित अधिकार भी अब उन से गया है और उन्हें अब बिना किसी शक्ति अथवा अधिकार के एक प्रकार का सम्मानित स्थान दिया गया है।

मैं इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि काश्मीर में राजतंत्र समाप्त करने से स्थिति कुछ ज्यादा अस्तव्यस्त होगी। यदि जहां तहां किसी व्यक्ति विशेष को—चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो—कुछ हो जाये तो उस से देश अस्तव्यस्त नहीं होता है। देश तब अस्तव्यस्त हो जाता है जब लाखों व्यक्तियों को कुछ हो जाये। परन्तु यदि काश्मीर में कोई ठीक क़दम उठाया गया हो तो स्वभावतः उसके परिणाम शेष भारत में भी पंसद किये जायेंगे।

जहां तक भाषावार प्रान्तों की रचना का सम्बन्ध है हम महसूस करते हैं कि बहुत से लोग विशेष कर दक्षिण भारत में इसके लिये ज़ोरदार मांग कर रहे हैं। दक्षिणी भारत के सिलसिले में हम कार्यवाही करने के लिये बिल्कुल तैयार हैं परन्तु शर्त यह है कि मुख्य प्रश्नों पर सम्बन्धित पक्ष काफी हद तक सहमत होने चाहियें। अभी डा० लंकासुन्दरम ने बताया कि कोई भी आन्ध्र मद्रास नगर पर से अपना दावा नहीं हटा सकता है। मेरा विश्वास है कि तामिल क्षे से आये हुए सदस्य भी इतने ही ज़ोरदार शब्दों में इसका खंडन करेंगे। उन्हें आपस में मिल के इस झगड़े का निपटारा करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार को इस मामले में अकर्मण्य रहना चाहिये। मैं तो उन्हें इस झगड़े के निपटारे में सहायता देने के लिये बिल्कुल तैयार हूं परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि मैं कैसे एक पक्ष को दूसरे पक्ष की मांग मानने के लिये विवश कर सकता हूं। ऐसा करना मेरे लिये कठिन है। और यदि मैं ऐसा करूं भी, तो भी इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं क्योंकि इस से जनता के हृदय में दुर्भावना तथा क्षोभ की एक छाप रह जाती है तथा वह अपने छिने हुये क्षेत्र को दूसरे प्रान्त से बाद में ले लेने की सोचेंगे। हम विशाल आन्ध्र महागुजरात तथा संयुक्त महाराष्ट्र की बातें करते हैं। यदि हम मानचित्र को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह एक दूसरे पर अतिछादी है। जब तक सिद्धान्त पर चर्चा चल रही होगी तब तक महागुजरात से आये लोग निस्सन्देह विशाल आन्ध्र के लिये अपना मत दे देंगे आदि, आदि। परन्तु जब वह इन के मानचित्र देखेंगे तो वह वास्तविक समस्या पर आ जायेंगे। और जब वह वास्तविक समस्या पर भी जायेंगे तो चारों ओर झगड़े पैदा हो जायेंगे। हमें बताया जायगा कि सन् १००० ई० में महागुजरात जहां तक फैला हुआ था तथा राष्ट्रकूट के काल में महाराष्ट्र साम्राज्य वहां तक फैला हुआ था। इसी तरह की बातें आन्ध्र के बारे में भी कही जायेंगी। यदि आन्ध्रवासी प्राचीन आन्ध्र साम्राज्य की सोचेंगे तथा महाराष्ट्रवासी पुराने महाराष्ट्र की सोचेंगे.....

डा० एन० बी० खरे: हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। परन्तु मैं केवल

यह कहता हूं कि भाषावार प्रान्तों की बातें करने से तथा इतिहास की बातों को दुहराने से इस तरह की बातें अनिवार्य रूप से सोची जा सकती हैं। यह नहीं कि वह दूसरों पर छा जायें अपितु यह कि दूसरों के मुकाबिले में उनकी स्थिति अधिक महत्वपूर्ण हो। आप एक ही अतिछादी क्षेत्र को बांट कर दो प्रान्तों को नहीं दे सकते हैं। इसी तरह की कठिनाइयां हैं।

मुझे प्रभावित करने के लिये आन्दोलन करने की क्या आवश्यकता है ? मैं तो पहले ही इस से प्रभावित हूं। यदि आप एक आन्ध्रवासी हैं तो आप जाइये और तामिलों और अन्य सम्बन्धित पक्षों से बात चीत करिये। और यदि आवश्यक हो तो मैं भी बात चीत में शामिल हो जाऊंगा। यह नहीं कि मैं इस से दूर रहना चाहता हूं। जहां मैं इन के सम्बन्ध में पहले से ही प्रभावित हूं वहां मैं उत्तराखंड अथवा सिख प्रान्त जैसी मांगों के विरुद्ध हूं। मैं अपनी सीमाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: पश्चिमी बंगाल को एक नया प्रान्त बनाने का प्रश्न नहीं है। यह केवल सीमाएं ठीक करने का प्रश्न है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। वैसे तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि बंगाल तथा बिहार के बीच क्यों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जायें जिस से कि लोग, शरणार्थी तथा अन्य एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में अप्रसन्न हों। मैं समझता हूं कि यह सारा एक ही देश है।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर मध्य) : ऐसी कोई कठिनाई नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं नहीं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में चारों ओर पूर्ण सहमति है। कुछ भी हो हम इस पर पृथक् रूप से विचार करेंगे; परन्तु इस पर भी सद्भावना से विचार करना होगा। क्योंकि इस में कठिनाई यह है कि ज्यों ज्यों एक पक्ष ज़्यादा आन्दोलन करता जाती है त्यों त्यों दूसरा पक्ष ज़्यादा कठोर बनता जाता है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : इसलिये तो हम आप का हस्तक्षेप चाहते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा हस्तक्षेप ? हस्तक्षेप नहीं मैं अपनी सहायता देने के लिये तैयार हूं, क्योंकि मैं भी यहां बैठे अन्य व्यक्तियों की तरह इन समस्याओं का हल करना चाहता हूं। परन्तु यह बात समझ ली जानी चाहिये कि इस प्रकार का एक पक्षीय आन्दोलन वास्तव में इन समस्याओं के हल में बाधक बन जाता है क्योंकि दूसरे प्रान्त की जनता उत्तेजित हो जाती है।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : जनमत संग्रह कराने में आपकी आपत्ति क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मद्रास के सम्बन्ध में मद्रासवासियों का जनमत संग्रह ?

डा० रामा राव : सभी विवादास्पद क्षेत्रों में।

श्री जवाहरलाल नेहरू: यदि सम्बन्धित राज्य ऐसा कराना मान लें तो यह हो सकता है। परन्तु जहां जनमत संग्रह का

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

परिणाम सम्बन्धित पक्षों के लिये क्रमशः ४५ प्रतिशत तथा ५५ प्रतिशत अथवा इन दोनों के बीच का कोई प्रतिशत हो वहां फिर कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। सम्बन्धित पक्षों में दुर्भावना फैल जायेगी तथा आप सामान्यतया जनमत संग्रह द्वारा इसका निवारण नहीं कर सकते हैं।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : क्या मैं इस बात का उल्लेख करूं कि सोवियत रूस में भी भाषाओं से सम्बन्धित यह सभी समस्याएं थीं तथा उन्होंने बड़ें संतोषजनक ढंग से इन्हें हल किया है। उनकी प्रणाली अब गत ३० वर्ष से सफलतापूर्वक चल रही है ?

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरु) : आन्ध्र के सम्बन्ध में पहिले ही एक विभाजन समिति थी तथा जैसे कि माननीय प्रधान मंत्री ने मान लिया है, मद्रास नगर जैसे कुछेक विषयों को छोड़ के बाकी सारे प्रश्न हल कर लिये गए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन दो एक विषयों को कुछ समय के लिये उपस्थगित करके दरम्यानी काल में आन्ध्र प्रान्त बनाने में सरकार को कौन सी बाधा पेश आती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रो० साहा ने सोवियत संघ का ज़िक्र किया। मेरे विचार में वह बात यहां लागू नहीं होती है। निस्सन्देह उस से हमें कुछ कुछ सहायता मिल सकती है किन्तु ज़्यादा नहीं। वर्तमान सोवियत संघ का प्रादुर्भाव कई बर्षों के गृह युद्ध, हत्याकांड तथा गोली कांड के परिणामस्वरूप हुआ। वहां सभी तरह की बातें हुईं। बाहर से आक्रमण भी हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में नवनिर्माण का कार्य एक तरह से ज़्यादा आसान होता ह। दूसरे भारत सोवियत संघ की अपेक्षा अधिक संगठित ह। सोवियत संघ अब पहले की तरह एक साम्राज्य नहीं। यह रूस, साइबेरिया तथा अन्य देशों का एक संगठन है। उन्होंने अपने आप को एक राजनीतिक इकाई में परिवर्तित किया है तथा वह इस व्यवस्था से संतुष्ट भी हैं। दूसरे शब्दों में उनकी व्यवस्था स्वतंत्र गणराज्यों के संगठन के सिद्धान्त पर आधारित है। भारत की स्थिति इस से बिल्कुल भिन्न है। यहां तो स्वतंत्र गणराज्यों के संगठन के सिद्धान्त पर काम नहीं हो रहा है। हम उनकी अपेक्षा अधिक संगठित हैं। यह प्रश्न तभी उठेगा जब हम रूस की, न कि सोवियत संघ की भारत के साथ तुलना करेंगे। सोवियत संघ में बहुत से एशियाई क्षेत्र शामिल हैं जो कि एक ही नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इतने पर भी वहां सिद्धान्त तथा व्यवहार में फ़र्क है। सम्बन्ध विच्छेद का सिद्धान्त होते हुये भी वहां केन्द्रीय करण का काम बहुत हद तक आगे बढ़ गया है।

सरदार हुक्म सिंह : उत्तरी भारत के सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री ने यह कह कर मामला खत्म किया है कि वहां कुछ लोग सिख राज्य बनाने की मांग कर रहे है। मुझे खेद है कि सम्बन्धित पक्षों की सुनवाई किये बिना ही फैसला दिया गया है। ऐसा क्यों अनुमान लगाया गया है कि सिख राज्य की मांग की जा रही है ? यह पूर्वधारणा ही गलत है। किसी ने यह मांग नहीं की है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं माननीय सदस्य की घोषणा का स्वागत करता हूं। मैं क्षण भर के लिये भी यह नहीं कहता हूं कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसी मांग की है।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : भाषावार प्रांतों की रचना से न केवल पारस्परिक

विरोध बढ़ेगा तथा दुर्भावना फैल जायगी अपितु इस से राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रीयता का भी अहित होगा। भाषावार प्रांतों के निर्माण से असहिष्णुता बढ़ जायगी तथा अल्पसंख्यकों की समस्याएं पैदा होंगी। प्रादेशिक भाषा बोलने वाली जनता दूसरे लोगों को परदेसी मान कर उन से घृणा करने लगेगी। इसका दृष्टान्त हमें रामनाद तथा कोयम्बटोर ज़िलों में तेलुगू भाषी जनता में मिलता है। तामिल वाले उन से वहां घृणा करते हैं। इसी तरह उड़ीसा के कुछेक ज़िलों में भी लोग अप्रसन्न हैं।

केवल भाषा के आधार पर अलग प्रांत बनाना एक हानिकारक बात है। भौगोलिक सामीप्य तथा प्रशासकीय सुविधा के लिये अलग प्रांत बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि हम प्रस्तुत संकल्प को स्वीकार करेंगे तो भारत का सम्पूर्ण मानचित्र बदल जायगा। देश के टुकड़े टुकड़े होंगे। इस काम के लिए यह उचित अवसर भी नहीं है।

मैं रायलासीमा से आया हूं। रायलासीमा की जनता उस ज़िले को प्रस्थापित आन्ध्र प्रांत में शामिल करने के विरुद्ध रही है। उनकी कुछ आशंकायें हैं जो उन्हें ऐसा करने के लिए विवश करती हैं। वह आर्थिक तथा राजनीतिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं तटीय ज़िलों के लोग जो सभी क्षेत्रों में उन से आगे बढ़े हुए हैं उनका शोषण न करें तथा विधान सभाओं, सेवाओं तथा विकास परियोजनाओं पर छा न जायें। वैसे तो रायलासीमा तथा पांच तटीय ज़िलों में १९३७ में एक करार भी हुआ था जिसमें रायलासीमा की जनता के हितों के संरक्षण के लिए कुछ शर्तें रखी गई थीं। लेकिन इस करार के बावजूद मतभेद दूर नहीं हुए हैं। अनन्तपुर कालिज ने आन्ध्र विश्वविद्यालय से अपना सम्बन्ध-विच्छेद किया है तथा वह अब मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इस से स्पष्ट है कि आन्ध्रवासियों तथा रायलासीमा की जनता में कोई सुमेल नहीं है। विभाजन आयोग ने भी बहुत से ऐसे प्रश्नों का ज़िक्र किया है जिनका निपटारा करना अभी बाकी है। बेल्लारी, चित्तूर, चिंगलपुट, उत्तरी अरकाट तथा सलेम के ज़िलों में सीमा-निर्धारण के झगड़े हैं। इनके कई क्षेत्रों पर सभी पक्ष अपना अपना दावा करते हैं। इस झगड़े को सुलझाना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा आर्थिक कठिनाई का प्रश्न है। रायलासीमा, चाहे इसका इतिहास कितना ही शानदार क्यों न रहा हो, आज एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसमें बहुत सी छोटी-बड़ी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इसका आर्थिक विकास निश्चित होना चाहिए, तभी वहां चिरदुर्भिक्ष का निवारण हो सकता है। इस काम में काफी धन लगेगा। यदि आंध्र प्रांत बन भी गया तो यह एक घाटे का प्रांत होगा। रायलासीमा इस के साथ रह कर क्या हासिल कर सकेगा? इस की परियोजनाएं बेकार पड़ी रहेंगी। इस विभाजन से रायलासीमा बर्बाद हो जायगा। रायलासीमा की आशाएं अविभाजित मद्रास के साथ ही बंधी हुई हैं। मद्रास अब हमारी सहायता पर आ रहा है, हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरे रायलासीमा मद्रास के समीप है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आन्ध्र प्रांत के अविलम्ब निर्माण तथा इस में रायलासीमा को शामिल करने का सर्वथा विरोध करते हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : श्रीमान, सदन के स्थगित होने से पूर्व मैं जानना चाहता हूं कि यह वाद-विवाद कब फिर जारी रहेगा ? वाद-विवाद के तारतम्य को बनाये रखने के लिए इसे ज्यादा अवधि के लिए उपस्थगित नहीं किया जाना चाहिए । इस संकल्प पर वाद विवाद जारी रखने के लिए हो सकता है, हमें शनिवार को भी बैठना पड़े ।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): हम इस मामले पर विचार करेंगे तथा निकट भविष्य में ही सदन को सूचना दे देंगे ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : यदि शनिवार की बैठक पर कोई आपत्ति होगी तो हम अपरान्ह को आ सकते हैं तथा इस वाद-विवाद को समाप्त कर सकते हैं । यदि माननीय मंत्री मान जायें, तो कल अपरान्ह को सदन की बैठक हो सकती है ।

डा० काटजू : मैं इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कह सकता हूं । हम कल कुछ बता सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बाद विवाद को यथा संभव शीघ्र ही समाप्त करने के लिए उत्सुक हैं । सरकार इस मामले पर विचार करेगी तथा सदन को अपनी राय से कल अवगत करेगी ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, ८ जुलाई १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।

GIPD—HS—429 PSL 17-7-53—295